सत्यमेव जयते

लेखे एक दृष्टि में
(2022-23)

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

उत्तराखण्ड सरकार

उत्तराखण्ड सरकार

वर्ष 2022-23 के लिए
'लेखे एक दृष्टि में'

महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी),
उत्तराखण्ड

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

उत्तराखण्ड सरकार

आमुख

वर्ष 2022-23 के लिए हमारे वार्षिक प्रकाशन 'लेखे एक दृष्टि में' के सत्रहवें अंक को प्रस्तुत करते हुए मुझे खुशी हो रही है, जो सरकारी गतिविधियों का परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जैसा कि "वित्त लेखे और विनियोग लेखे" में प्रदर्शित होता है ।

वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के अंतर्गत लेखों का सारांश विवरण है । विनियोग लेखे राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के विरुद्ध अनुदान-वार व्यय को दर्ज करते हैं और वास्तविक व्यय और आवंटित धन के बीच भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण दर्शाते हैं ।

वित्त और विनियोग लेखे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (C&AG) के निर्देशन में मेरे कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष विधानसभा में प्रस्तुत करने हेतु तैयार किए जाते हैं ।

हम पाठक के उन सुझावों का स्वागत करते हैं जो हमारे प्रकाशन को बेहतर बनाने में सहायक हों ।

देहरादून
दिनांक: 28 NOV 2023

(राजीव कुमार सिंह)
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड

हमारी दूरदर्शिता, लक्ष्य और बुनियादी मूल्य

दूरदर्शिता

(हम जो बनना चाहते हैं वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की संस्था की दूरदर्शिता चित्रित करती है।)

हम सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा और लेखा में एक वैश्विक मार्गदर्शन और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के सर्जक बनने का प्रयास करते हैं और सार्वजनिक वित्त और शासन पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित और समय पर रिपोर्टिंग के लिए मान्यता प्राप्त हैं ।

लक्ष्य

(हमारा मिशन हमारी वर्तमान भूमिका को व्यक्त करता है और हमारे वर्तमान कार्यों को वर्णित करता है।)

भारत के संविधान द्वारा अनिवार्य, हम उच्च गुणवत्ता की लेखापरीक्षा और लेखांकन के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देते हैं और अपने हितधारकों यथा विधानमंडल, कार्यपालिका और जनता को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं कि सार्वजनिक निधियों का उपयोग कुशलतापूर्वक और इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है ।

बुनियादी मूल्य

(हमारे बुनियादी मूल्य हमारे सभी कृत्यों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश स्तम्भ हैं और हमें अपने प्रदर्शन का आकलन करने के लिए मानदंड देते हैं ।)

- स्वतंत्रता
- निष्पक्षता
- अखंडता
- विश्वसनीयता
- पेशेवर उत्कृष्टता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक दृष्टिकोण

अनुक्रमणिका

		पृष्ठ सं.
अध्याय 1	**विहंगावलोकन**	
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	सरकारी लेखों की संरचना	2
1.3	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	4
1.4	निधियों के स्रोत एवं उपयोग	7
1.5	राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005	11
अध्याय 2	**प्राप्तियाँ**	
2.1	प्रस्तावना	15
2.2	राजस्व प्राप्तियाँ	15
2.3	कर राजस्व	17
2.4	कर संग्रह की लागत	20
2.5	पिछले पांच वर्षों में केन्द्रीय करों में राज्यांश की प्रवृति	20
2.6	सहायक अनुदान	21
2.7	लोक ऋण	22
अध्याय 3	**व्यय**	
3.1	परिचय	23
3.2	राजस्व व्यय	23
3.3	पूँजीगत व्यय	28
3.4	प्रतिबद्ध व्यय	30
अध्याय 4	**विनियोग लेखे**	
4.1	वर्ष 2021-22 के लिए विनियोग लेखे का सारांश	31
4.2	पिछले पांच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृति	31
4.3	महत्त्वपूर्ण बचतें	32
अध्याय 5	**परिसम्पतियाँ एवं देयताएँ**	
5.1	परिसम्पतियाँ	36
5.2	ऋण एवं दायित्व	37
5.3	प्रत्याभूतियाँ	38

अध्याय 6	**अन्य मदें**	
6.1	आंतरिक ऋण के अंतर्गत प्रतिकूल शेष	39
6.2	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम	39
6.3	स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता	40
6.4	रोकड़ शेष और रोकड़ शेष का निवेश	42
6.5	लेखाओं का मिलान	42
6.6	लेखा प्रेषित करने वाली इकाईयों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण	43
6.7	असमायोजित सार आकस्मिक बिल	43
6.8	उचन्त एवं प्रेषण शेषों की स्थिति	44
6.9	बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति	45
6.10	अपूर्ण पूँजीगत कार्यों के कारण प्रतिबद्धतायें	45
6.11	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली	45
6.12	व्यक्तिगत जमा खाते	46
6.13	निवेश	47
6.14	व्यय का प्रवाह	47
6.15	आरक्षित निधियों की स्थिति	48
6.16	प्रमुख उपकर	50

अध्याय - 1
विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रेषित किए गए लेखों के आंकड़ों को संचित, वर्गीकृत, संकलित करता है और उत्तराखण्ड सरकार के लेखों को तैयार करता है । संकलन 20 कोषागारों, 106 लोक निर्माण प्रभागों (85 भवन एवं सड़क, 21 ग्रामीण निर्माण प्रखण्ड), 85 सिंचाई प्रभागों, 57 वन प्रभागों (46 वन एवं 11 जलागम), अन्य राज्यों/लेखा कार्यालयों द्वारा प्रेषित किए गए प्रारंभिक लेखों और भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह से किया जाता है । हर महीने उत्तराखण्ड सरकार को महालेखाकार (ले. एवं हक़.) के कार्यालय द्वारा एक मासिक सिविल लेखा प्रस्तुत किया जाता है। कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं हक़.) प्रतिवर्ष सरकार के महत्वपूर्ण वित्तीय सूचकांकों और व्यय की गुणवत्ता पर एक त्रैमासिक अभिमूल्यन टिप्पणी भी उत्तराखण्ड सरकार को प्रस्तुत करता है । महालेखाकार (ले० एवं हक०) वार्षिक वित्त लेखों और विनियोग लेखों को तैयार करता है, जिन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)उत्तराखण्ड द्वारा लेखापरीक्षण के पश्चात एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण किये जाने के उपरांत राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है ।

1.2 सरकारी लेखों की संरचना

1.2.1 सरकारी लेखे तीन भागो में रखे जाते हैं:-

सरकारी लेखों की संरचना

भाग 1
समेकित निधि

सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व जिसमें कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व, जुटाए गये ऋण, समेकित निधि से दिए गये ऋणों (ब्याज सहित) का पुनर्भुगतान शामिल है| सरकार के सभी व्यय एवं संवितरण, जिसमें जारी किये गये ऋण और जुटाए गये ऋणों का पुनर्भुगतान (और उस पर ब्याज) शामिल है, इस निधि से आहरित किए जाते हैं |

भाग 2
आकस्मिकता निधि

आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय की प्रवृति में है, जिसका उद्देश्य अप्रत्याशित व्यय जिसके लिए बजट में प्रावधान नहीं था और जिसका प्राधिकरण विधानमंडल द्वारा लंबित है, को पूरा करना है | ऐसे व्यय की प्रतिपूर्ति बाद में समेकित निधि से कर दी जाती है |उत्तराखण्ड सरकार के लिए इस निधि का कार्पस ₹500.00करोड़ है |

भाग 3
लोक लेखे

लोक लेखे में ऋणों (भाग- I में शामिल ऋणों के अलावा), 'जमा', 'अग्रिम' [जिसके संबंध में सरकार का धन वापिस देने का दायित्व है या भुगतान की गई राशि को वसूलने का दावा करती है, ऋण और जमा का पुनर्भुगतान और अग्रिम की वसूली सहित] 'प्रेषण' और 'उचन्त' (उन सभी समायोजन शीर्षों को समाहित करते हुए जिनके तहत कोषागार और मुद्रा चेस्ट के बीच नकद का प्रेषण और विभिन्न लेखांकन परिक्षेत्रों के बीच हस्तांतरण जैसे लेनदेन होते हैं) से सम्बंधित लेनदेन दर्ज किए जाएंगे। इन शीर्षों में प्रारम्भिक नामे व जमा का निपटान, बाद में उसी या किसी दूसरे लेखांकन परिक्षेत्र में अनुरूप प्राप्ति या अदायगी के द्वारा अथवा लेखा के अंतिम शीर्षों में पुस्तांकित करके किया जाता है |

1.2.2 लेखों का संकलन

लेखों के संकलन के लिए प्रवाह आरेख

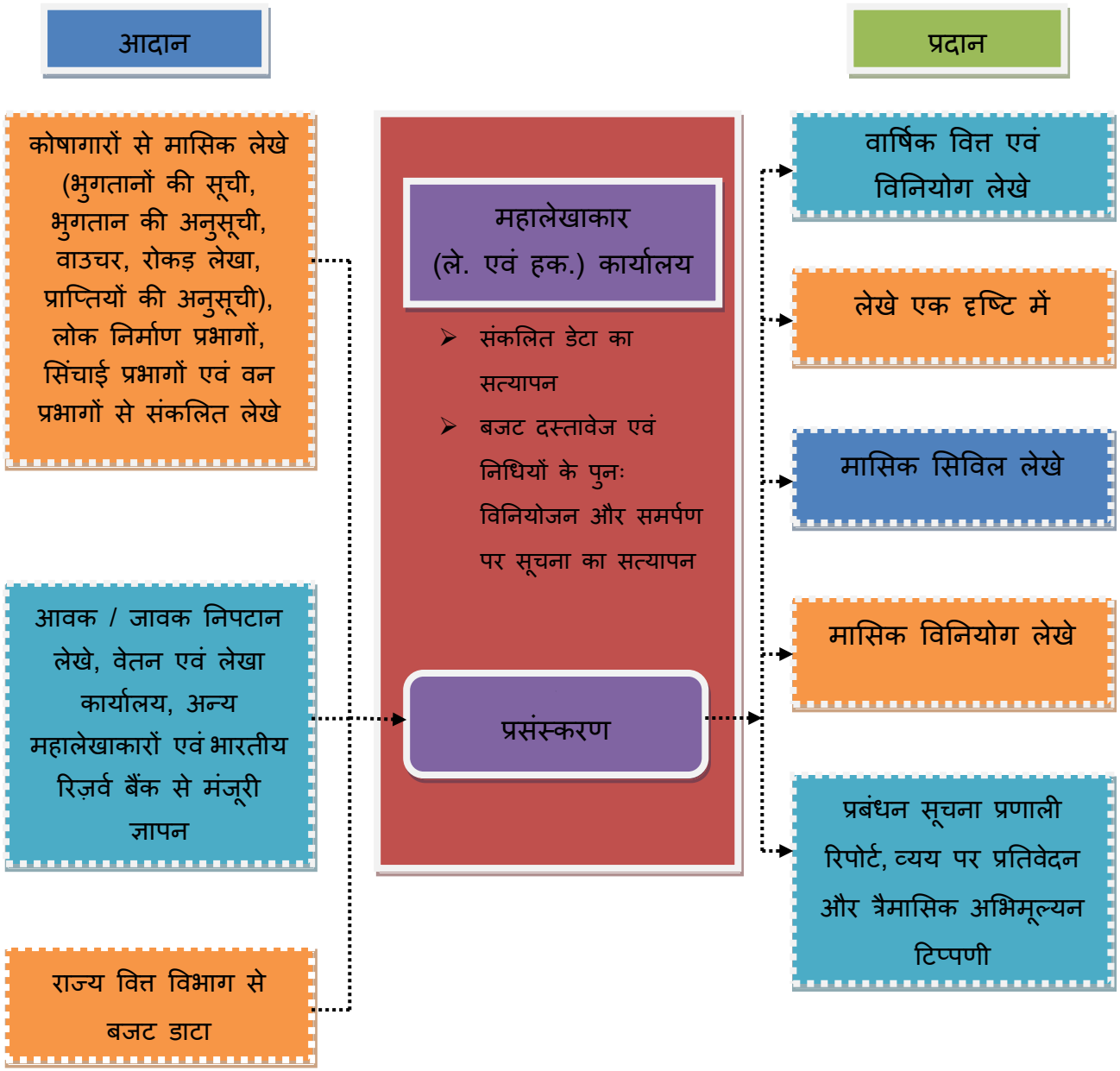

1.3 वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे शासन के राजस्व और पूँजीगत लेखाओं, लोक ऋणों और लेखाओं में अभिलिखित लोक लेखे के शेषों से प्राप्त वित्तीय परिणामों के साथ-साथ वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों को दर्शाते हैं । वित्त लेखे को अधिक व्यापक और सूचना देयक बनाने हेतु इन्हें दो खंडों में तैयार किया जाता है। वित्त लेखों के (खण्ड-I)में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, समग्र प्राप्तियों और संवितरणों के तेरह (13) सारांशित विवरण और 'लेखाओं पर टिप्पणी' जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश, लेखों की गुणवत्ता और अन्य वस्तुओं पर टिप्पणी शामिल होते हैं | खण्ड-II के भाग-I में नौ (9) विस्तृत विवरण एवं भाग-II में तेरह (13) परिशिष्ट सम्मिलित हैं |

वर्ष 2022-23 के दौरान, भारत सरकार ने ₹4,335.37 करोड़ की राशि विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए उत्तराखण्ड में सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों / गैर सरकारी संगठनों को हस्तांतरित की | चूँकि ये निधियाँ राज्य बजट के माध्यम से प्रेषित नहीं की जाती है, इसलिए ये राज्य सरकार के लेखों में प्रदर्शित नहीं होती हैं। ये हस्तांतरण वित्त लेखे के खंड II के परिशिष्ट VI में दिए गए हैं।

1.3.2 वर्ष 2022-23 की वित्तीय झलकियाँ

निम्न तालिका वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक वित्तीय परिणाम और बजट अनुमानों का विवरण प्रदान करती है:

क्रम संख्या	घटक	बजट अनुमान *(₹करोड़ में)*	वास्तविक आँकड़े *(₹करोड़ में)*	बजट अनुमानों से वास्तविक आँकड़ों का *प्रतिशत*	जीएसडीपी[1] से वास्तविक आँकड़ों का *प्रतिशत*
1.	कर राजस्व (केन्द्रांश सहित)	24,500.72	27,719.54[2]	113.14	9.16
2.	करेत्तर राजस्व	5,520.79	4,366.55	79.09	1.44
3.	सहायक अनुदान एवं अंशदान	21,452.76	16,996.61	79.23	5.62
4.	**राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)**	**51,474.27**	**49,082.70**	**95.35**	**16.22**
5.	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	25.28	17.30	68.43	0.01
6.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	11.83	…	0.00
7.	उधार एवं अन्य दायित्व	12,275.00	2,949.04[3]	24.02	0.97
8.	**पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)**	**12,300.28**	**2,978.17**	**24.21**	**0.98**
9.	**कुल प्राप्तियाँ (4+8)**	**63,774.55**	**52,060.87**	**81.63**	**17.20**
10.	राजस्व व्यय	51,289.74	43,772.73	85.34	14.46
11.	ब्याज भुगतान पर व्यय (राजस्व व्यय से)	6,017.85	5,103.63	84.81	1.69
12.	पूँजीगत व्यय	11,987.68	8,194.51	68.36	2.71
13.	वितरित ऋण एवं अग्रिम	156.26	93.63	59.92	0.03
14.	**कुल व्यय (10+12+13)**	**63,433.68**	**52,060.87**	**82.07**	**17.20**
15.	**राजस्व घाटा (-) आधिक्य (+) (4-10)**	**(+)184.53**	**(+) 5,309.97**	**2,877.56**	**1.75**
16.	**राजकोषीय घाटा(-)/ आधिक्य(+) (4+5+6-14)**	**(-)11,934.13**	**(-)2,949.04**	**24.71**	**(-)0.97**

[1]वर्ष 2022-23 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 3,02,620.68 करोड़ का आँकड़ा (वर्तमान मूल्यों पर) अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय की वेबसाइट से लिया गया है |

[2] ₹10,617.01 करोड़ में राज्य को समनुदेशित शुद्ध आय (कर) का भाग सम्मिलित है | [राज्य सरकार की स्वकर प्राप्तियाँ ₹17,102.53 करोड़ थी जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.65 *प्रतिशत* था |]

[3] उधार एवं अन्य दायित्व : शुद्ध (प्राप्तियाँ - संवितरण) लोक ऋण (₹ 956.30 करोड़) + आकस्मिकता निधि शुद्ध (₹ 90.16 करोड़) + शुद्ध [प्राप्तियाँ - संवितरण], लोक लेखा (₹1,658.29 करोड़) + प्रारंभिक एवं अंतिम रोकड़ शेष शुद्ध (₹ 244.29करोड़)|

वर्ष 2022-23 में प्राप्तियाँ एवं संवितरण

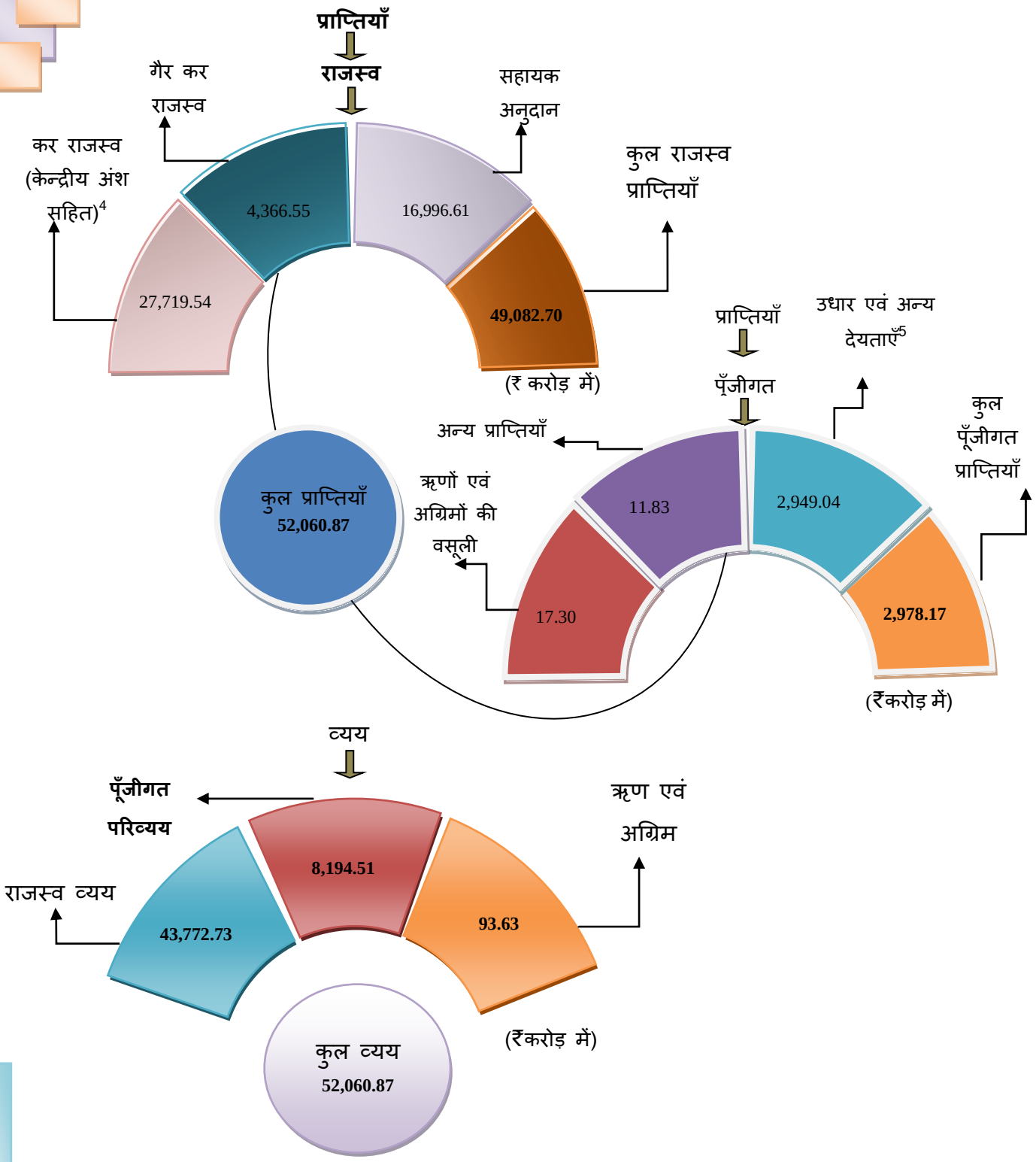

[4] ₹10,617.01 करोड़ में राज्य को समनुदेशित शुद्ध आय (कर) का भाग सम्मिलित है| [राज्य सरकार की स्वकर प्राप्तियाँ ₹17,102.53 करोड़ थी जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.65 प्रतिशत था ||]

[5] उधार एवं अन्य दायित्व : शुद्ध(प्राप्तियाँ- संवितरण) लोक ऋण +आकस्मिकता निधि शुद्ध,+ शुद्ध [प्राप्तियाँ- संवितरण], लोक लेखा + प्रारंभिक एवं अंतिम रोकड़ शेष शुद्ध |

1.3.3 विनियोग लेखे

संविधान के अंतर्गत यह प्रावधान है कि कोई भी व्यय विधायिका के प्राधिकार के बिना सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता है। संविधान में वर्णित कुछ ऐसे व्ययों को छोड़कर, जिन्हें समेकित-निधि को प्रभारित किया जाता है तथा विधायिका के वोट के बिना व्यय किया जा सकता है, अन्य सभी व्यय दत्तमत होना आवश्यक है। विनियोग लेखे वित्त लेखे के पूरक हैं। उत्तराखण्ड के बजट में 01 प्रभारित विनियोग, 08 प्रभारित विनियोग / दत्तमत अनुदान और 22 दत्तमत अनुदान है । विनियोग लेखे का उद्देश्य यह दर्शाना है कि विनियोग के साथ संकलित किए गए वास्तविक व्यय को किस सीमा तक प्रति वर्ष के विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधायिका द्वारा प्राधिकृत किया गया है |

1.3.4 बजट तैयार करने की दक्षता

विनियोग अधिनियम, 2022-23 में ₹71,011.92 करोड़ रुपये के सकल व्यय का प्रावधान था। इसके सापेक्ष, वास्तविक सकल व्यय ₹60,592.90 करोड़ था और व्यय में कमी ₹57.26 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹10,419.02 करोड़ (14.67 प्रतिशत) की बचत हुई और "व्यय में कमी" का कम अनुमान ₹57.26 करोड़ (100.00 प्रतिशत) था | 'वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा विविध सेवायें' से संबंधित एक अनुदान में व्याधिक्य देखी गई ।

1.4 निधियों के स्रोत एवं उपयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिज़र्व बैंक से न्यूनतम सहमति नकदी शेष (₹0.16 करोड़), जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ बनाए रखना आवश्यक है, में कमी को पूरा कर तरलता बनाए रखने के लिए अर्थोपाय अग्रिम लिए जाते हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹4,395.47 करोड़ के अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त किए और ₹4,395.47 करोड़ चुकाए । अर्थोपाय अग्रिम 36 अवसरों (00 साधारण और 36 विशेष) पर लिए गये | हालाँकि, 31 मार्च 2023 को कोई भी अर्थोपाय अग्रिम बकाया नहीं रहे | वर्ष के दौरान ₹2.21 करोड़ की धनराशि अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज के रूप में दी गयी |

1.4.2 भारतीय रिज़र्व बैंक से अधिविकर्ष / ओवर ड्राफ्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले अपेक्षित न्यूनतम रोकड़ शेष (₹ 0.16 करोड़) में कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अर्थोपाय अग्रिम लेने के बावजूद यदि कमी रहती है तो भारतीय रिज़र्व बैंक से अधिविकर्ष / ओवर ड्राफ्ट लिया जाता है | वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा कोई अधिविकर्ष नहीं लिया गया ।

1.4.3 निधि प्रवाह विवरण

वर्ष 2022-23 में राज्य का राजस्व आधिक्य ₹5,309.97 करोड़ और राजकोषीय घाटा ₹2,949.04 करोड़ था जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 1.75 और 0.97 प्रतिशत था | शुद्ध लोक ऋण (₹956.30 करोड़), लोक लेखे में वृद्धि (₹1,658.29 करोड़),शुद्ध आकस्मिकता निधि (₹90.16) और प्रारंभिक और अंतिम रोकड़ शेष में शुद्ध कमी (₹244.29 करोड़) से राजकोषीय घाटा पूरा किया गया | राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों (₹49,082.70 करोड़) का लगभग 53.15 प्रतिशत वचनबद्ध व्यय जैसे वेतन (₹13,515.35 करोड़), ब्याज भुगतान (₹5,103.63करोड़), पेंशन (₹7,180.52 करोड़) और सब्सिडी (₹289.20 करोड़), पर खर्च किया गया था ।

निधि के स्त्रोत एवं उपयोग

(₹करोड़ में)

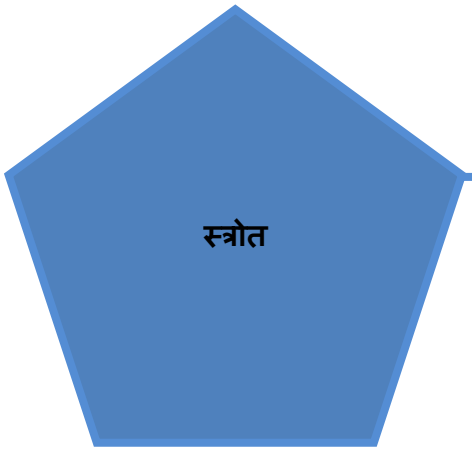

•1 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक रोकड़ शेष	112.47
•राजस्व प्राप्तियाँ	49,082.70
•विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	11.83
•ऋण एवं अग्रिम की वसूली	17.30
•लोक ऋण	9,431.07
•अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	1,886.73
•आरक्षित एवं निक्षेप निधियाँ	1,483.87
•जमा प्राप्तियाँ	5,386.61
•सिविल अग्रिमों का पुनर्भुगतान	0.00
•उचन्त लेखा	96,401.56 [6]
•प्रेषण	1.26
•आकस्मिकता निधि	268.66
•योग	**1,64,084.06**

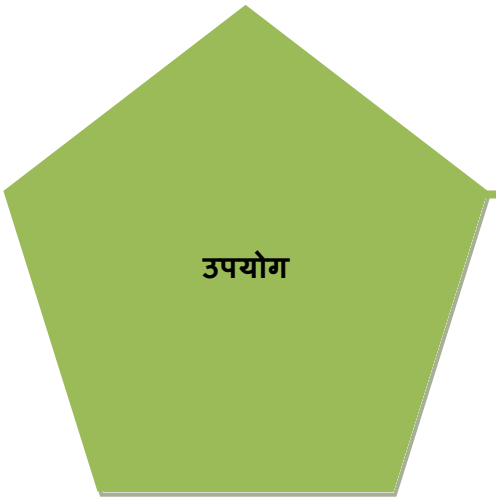

•राजस्व व्यय	43,772.73
•पूँजीगत व्यय	8,194.51
•प्रद्दत ऋण	93.63
•लोक ऋण का पुनर्भुगतान	8,474.77
•अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि.	1,763.78
•आरक्षित एवं प्रेषण निधियाँ	1,422.24
•जमा पुनर्भुगतान	5,042.15
•प्रद्दत सिविल अग्रिम	0.00
•उचन्त लेखा	95,289.52[7]
•प्रेषण	-15.95
•आकस्मिकता निधि	178.50
•31मार्च 2022 को अन्तिम रोकड़ शेष	-131.82
•योग	**1,64,084.06**

[6]रोकड़ शेष निवेश लेखा के ₹45,727.35 करोड़ सम्मिलित हैं।

[7]रोकड़ शेष निवेश लेखा के ₹44,343.10 करोड़ सम्मिलित हैं।

1.4.4 ₹ कहाँ से आया?

वास्तविक प्राप्तियाँ

27719.54, कर राजस्व, 53.24%

16996.61, सहायक अनुदान, 32.65%

4366.55, करेत्तर राजस्व, 8.39%

1112.04, उच्चंत एव विविध (शुद्ध), 2.14%

956.30, लोक ऋण (शुद्ध), 1.84%

344.46, जमा (शुद्ध), 0.66%

244.29, रोकड़ शेष, 0.47%

122.95, अल्प बचतें (शुद्ध), 0.24%

90.16, आकस्मिकता निधि (शुद्ध), 0.17%

61.63, शुद्ध आरक्षित एव ऋण शोधन निधियां, 0.12%

17.30, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, 0.03%

17.21, प्रेषण (शुद्ध), 0.03%

11.83, पूंजीगत प्राप्तियां, 0.02%

1.4.5 ₹ कहाँ गया?

वास्तविक व्यय

13515.35, वेतन, 25.96%

8194.51, पूंजीगत व्यय , 15.74%

7180.52, पेंशन भुगतान, 13.79%

6062.88, सामाजिक सेवायें, 11.65%

5590.66, सहायक अनुदान, 10.74%

5213.63, ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवायें, 10.01%

2747.78, आर्थिक सेवायें , 5.28%

2040.66, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन , 3.92%

1132.05, सामान्य सेवायें (अन्य), 2.17%

289.20, सब्सिडी, 0.56%

93.63, ऋण एवं अग्रिम , 0.18%

वर्ष 2022-23 के दौरान ₹5,309.97 करोड़ का राजस्व आधिक्य (2021-22 में ₹4,128.04 करोड़ राजस्व आधिक्य) और ₹2,949.04 करोड़ का राजकोषीय घाटा (2021-22 में ₹3,735.84 करोड़ राजकोषीय घाटा) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः1.75 *प्रतिशत* और 0.97 *प्रतिशत* है |राजकोषीय घाटा सकल व्यय (₹52,060.87) का 5.66 *प्रतिशत* रहा |

<u>घाटा और आधिक्य क्या दर्शाते हैं</u>

घाटा

राजस्व और व्यय के अन्तर को दर्शाता है | घाटे का स्वरूप, घाटा वित्त पोषण कैसे हो तथा निधियों का उपयोग वित्तीय प्रबंधन में दूरदर्शिता के महत्वपूर्ण संकेतक हैं |

राजस्व घाटा / आधिक्य

राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है |राजस्व व्यय की आवश्यकता सरकार की वर्तमान स्थापना के रखरखाव हेतु होती है और आदर्शत: इसे राजस्व प्राप्तियों से पूर्णतः वहन किया जाना चाहिए |

राजकोषीय घाटा / आधिक्य

सकल प्राप्तियों [उधारों को छोड़कर] और सकल व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है | इसलिए यह स्पष्ट करता है कि व्यय को किस हद तक उधारी द्वारा वित्त पोषित किया गया तथा आदर्शत: उधारों को पूँजीगत परियोजनाओं में निवेशित किया जाना चाहिए|

1.5 राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 2005

घाटा संकेतक, राजस्व संवर्धन तथा व्यय प्रबंधन सरकार की राजकोषीय कार्यशैली को जाँचने के मुख्य मापदंड हैं ।उत्तराखण्ड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया है। इस अधिनियम को 2011, 2016,2020 और 2023 में संशोधित किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को निर्दिष्ट अवधि तक कुछ राजकोषीय लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अधिनियमों द्वारा और इसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों के तहत उपलब्धियाँ निम्नानुसार थी:

क्रम संख्या.	वित्तीय मापदण्ड	वास्तविक आँकड़े (₹करोड़ में)	जीएसडीपी से अनुपात[8]	
			लक्ष्य	**उपलब्धि**
1	राजस्व आधिक्य	5,309.97	राज्य में राजस्व आधिक्य होना चाहिए	1.75 (प्राप्त किया)
2	राजकोषीय घाटा	2,949.04	3.5[9]	0.97(प्राप्त किया))
3	लोक ऋण और अन्य दायित्व	72,860.01[10]	33.3	24.08[10] (प्राप्त नहीं किया)
4	प्राथमिक घाटा	2,154.59	..	0.71

राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियम, 2005 के तहत आवश्यक उद्घोषणाएँ विधानमंडल में प्रस्तुत किए।

राज्य सरकार का राजस्व आधिक्य वर्ष 2021-22 में ₹4,128.04 करोड़ जबकि वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व आधिक्य ₹5,309.97 करोड़ का था जो एफ.आर.बी.एम अधिनियम के लक्ष्यों के अनुरूप है । ₹786.80 करोड़ की कमी के साथ राजकोषीय घाटा वर्ष 2021-22 में ₹3,735.84 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹2,949.04 करोड़ हो गया जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.97*प्रतिशत* था जो कि सकल राज्य

[8]वर्ष 2022-23 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹3,02,620.68 करोड़ का आँकड़ा (वर्तमान मूल्यों पर) अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय की वेबसाइट से लिया गया है |

[9]एफआरबीएम अधिनियम 2023 के अनुसार राजकोषीय घाटे की सीमा जीएसडीपी का 3.5 प्रतिशत और सशर्त सीमा जीएसडीपी का 3.5 प्रतिशत तक है।

[10]जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के बदले भारत सरकार से प्राप्त ₹ 5,649.03 करोड़ (2020-21 के लिए ₹ 2,316.00 करोड़ + 2021-22 के लिए ₹ 3,333.03 करोड़) के बैंक टू बैंक ऋण को जीएसडीपी के लिए बकाया ऋण के अनुपात की गणना के लिए बाहर रखा गया है। भारत सरकार के स्पष्टीकरण पत्र सं.F. No. 40 (1) PF-S/2021-22 दिनांक 10-12-2021 के अनुसार इस उधार को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

घरेलू उत्पाद के 3.5 *प्रतिशत* के लक्ष्य की पुष्टि करता है | सार्वजनिक ऋण और अन्य देनदारियों को वर्ष 2022-23 तक जीएसडीपी के 33.30 प्रतिशत तक रखने के सापेक्ष सार्वजनिक ऋण और अन्य देनदारियां ₹72,860.01 करोड़ थी जो जीएसडीपी का 24.08 *प्रतिशत* थी ।

1.5.1 राजस्व घाटे/ आधिक्य की प्रवृति

राजस्व घाटे/ आधिक्य की प्रवृति

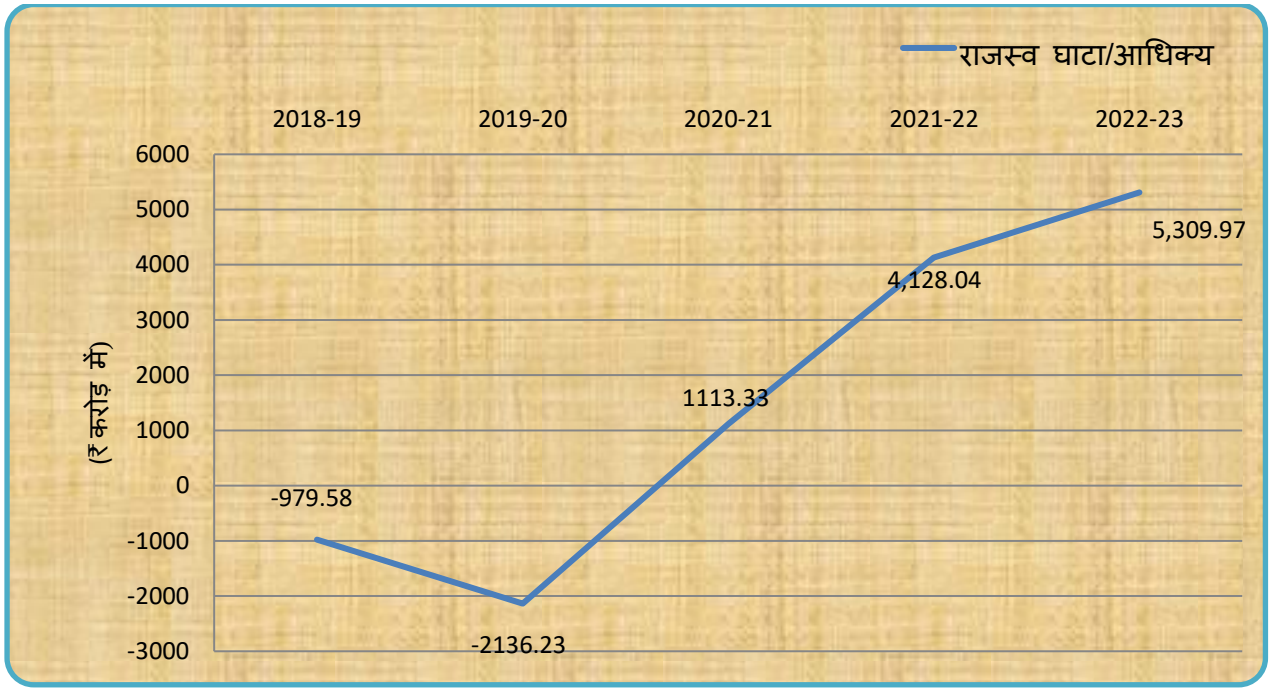

जीएसडीपी के अनुपात में राजस्व घाटे/ आधिक्य की प्रवृति

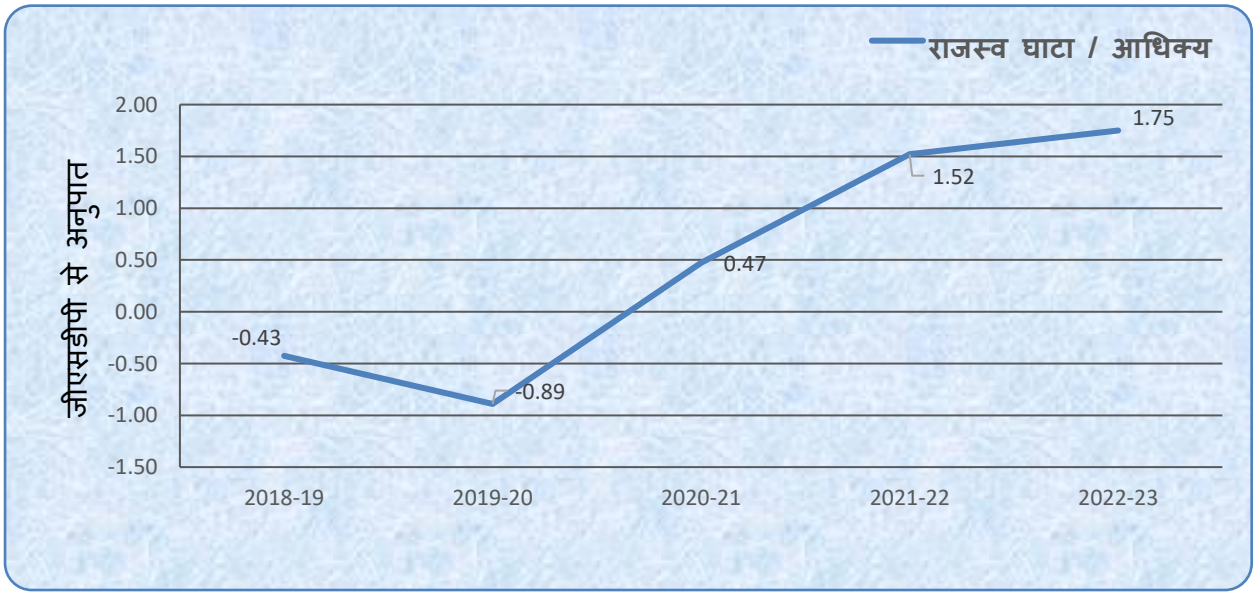

नोट: अनुपात का ऋणात्मक चिन्ह (-) राजस्व घाटे को दर्शाता है एवं धनात्मक चिन्ह (+) राजस्व आधिक्य को दर्शाता है |

1.5.2 राजकोषीय घाटे की प्रवृति

राजकोषीय घाटे की प्रवृति

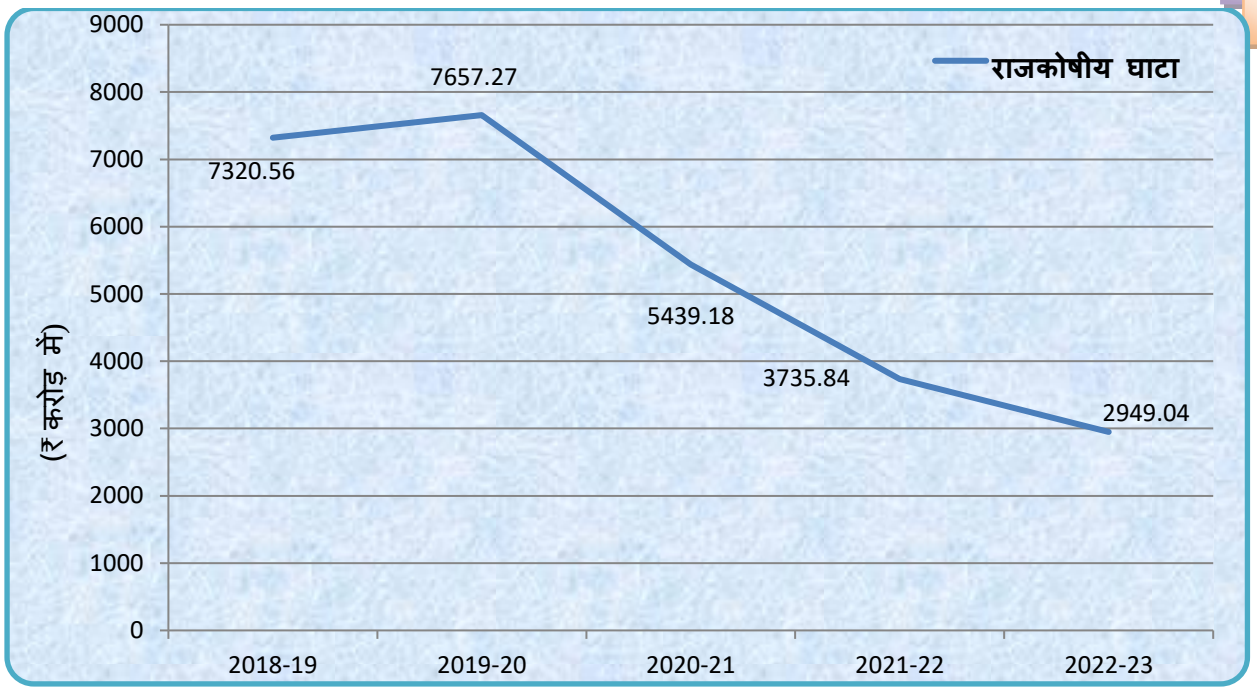

जीएसडीपी के अनुपात में राजकोषीय घाटे की प्रवृति

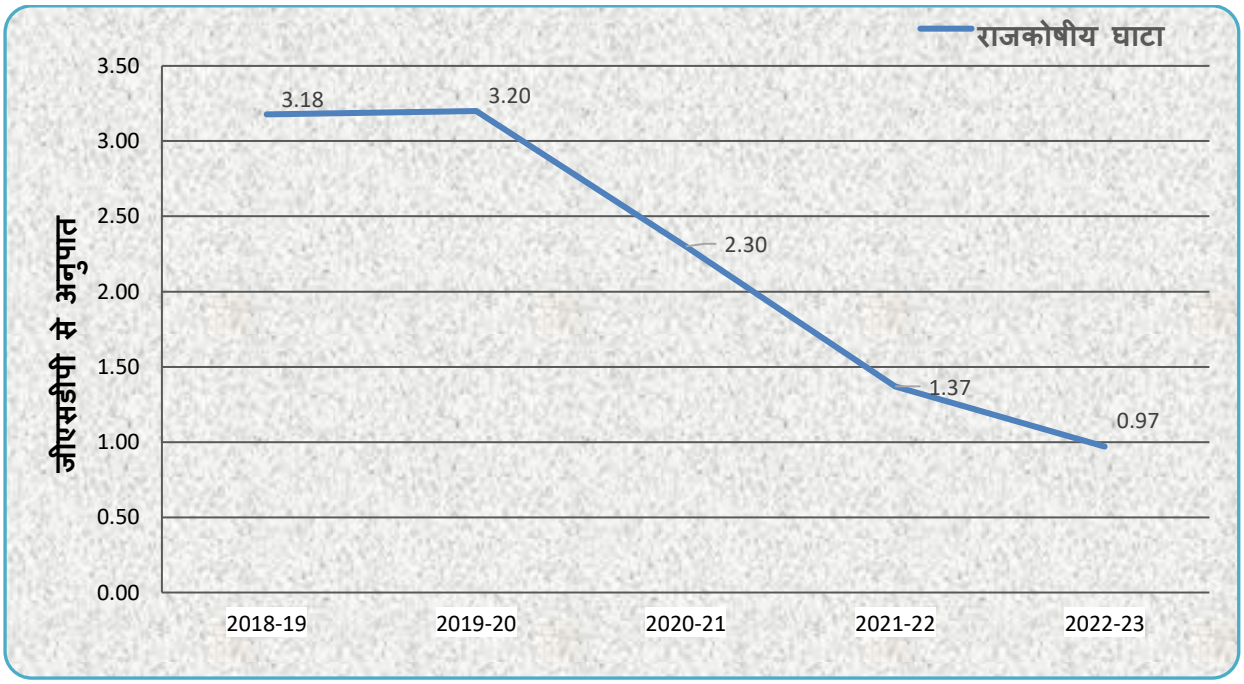

1.5.3 उधार ली गयी निधियों में से पूँजीगत व्यय पर खर्च का अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उधार ली गई निधियाँ[11]	पूँजीगत व्यय
2018-19	15,448	6,184
2019-20	13,113	5,414
2020-21	15,135	6,538
2021-22	7,918	7,534
2022-23	9,431	8,195

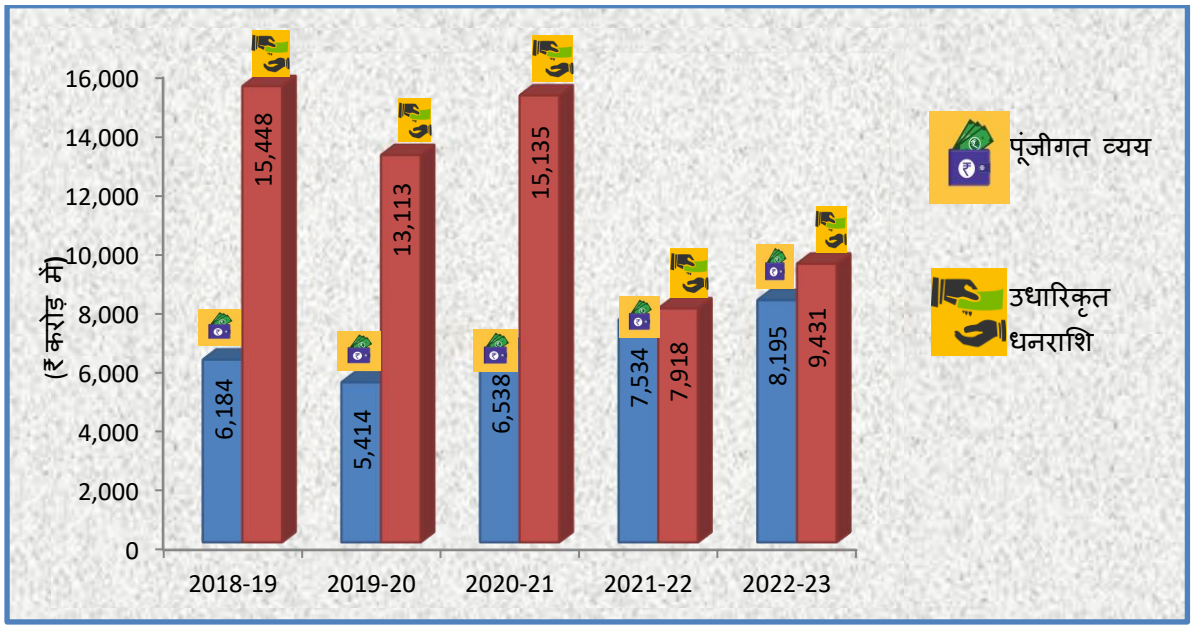

सामान्यतः सरकारें राजकोषीय घाटे पर चलती हैं और पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए / तथा आर्थिक व सामाजिक ढांचे के निर्माण के लिए ऋण लेती हैं, ताकि उधार के माध्यम से निर्मित संपत्तियां अपने लिए स्वयं आय उत्पन्न कर सके। इस प्रकार उधार ली गई निधियों का पूरा उपयोग पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए और राजस्व प्राप्तियों का उपयोग मूलधन और ब्याज की अदायगी हेतु अपेक्षित है । हालाँकि, राज्य सरकार ने वर्तमान वर्ष में कुल उधारों (₹9,431 करोड़) का केवल 86.89 प्रतिशत (₹8,195 करोड़) सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों, 0.99 प्रतिशत (₹93.63 करोड़) सरकार द्वारा दिए गये ऋणों पर खर्च किया | इस लिए, ऐसा प्रतीत होता है कि सार्वजनिक ऋण में शेष 12.12 प्रतिशत उधार का उपयोग पिछले वर्षों के सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक खाते के हिस्से को चुकाने के लिए किया गया था।

[11] वर्ष के दौरान लोक ऋण की प्राप्तियों को प्रदर्शित करती है |

अध्याय 2
प्राप्तियाँ

2.1 प्रस्तावना

सरकार की प्राप्तियाँ राजस्व प्राप्तियों एवं पूँजीगत प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत की गई है | वर्ष 2022-23 के दौरान कुल प्राप्तियाँ ₹58,542.90 करोड़ (₹49,082.70 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ एवं ₹9,460.20 करोड़ की पूँजीगत प्राप्तियाँ) थी |

2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

सरकार की प्राप्तियों में तीन घटक शामिल हैं नामतः कर राजस्व (स्वकर राजस्व + केन्द्रीय करों/शुल्कों का राज्यांश), करेत्तर राजस्व और केंद्र सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान |

कर राजस्व — राज्यों द्वारा वसूले गए एवं प्रतिधारित किए गए तथा संविधान के अनुछेद 280 (3) के अंतर्गत संघीय करों से राज्यांश के रूप में प्राप्त कर सम्मिलित हैं |

करेत्तर राजस्व — ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश, लाभ, विभागीय प्राप्तियाँ इत्यादि सम्मिलित हैं |

सहायक अनुदान — सहायक अनुदान संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता को प्रदर्शित करती है | इसमें विदेशी सरकारों से प्राप्त "बाह्य अनुदान सहायता" और 'सहायता, सामग्री, उपकरण' जो संघ सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को प्राप्त होते हैं, भी सम्मिलित हैं | राज्य सरकार भी पंचायती राज संस्थाएं, स्वायत्त संस्थाएँ इत्यादि को सहायता अनुदान प्रदान करती है |

राजस्व प्राप्तियाँ

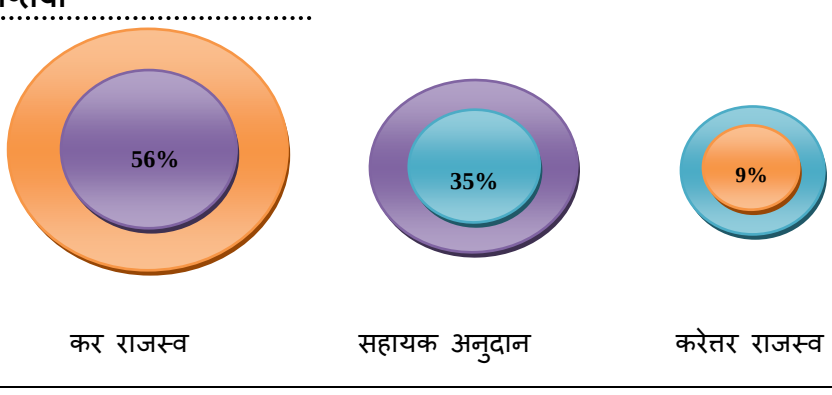

2.2.1 राजस्व प्राप्तियों के घटक (2022-23)

घटक	वास्तविक *(₹ करोड़ में)*	राजस्व प्राप्तियों से *प्रतिशत*
A. कर राजस्व[1]	**27,719.54**	**56.47**
वस्तु एवं सेवा कर	10,340.67	21.07
आय और व्यय पर कर	7,034.55	14.33
संपत्ति और पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	2,052.26	4.18
वस्तुओं और सेवाओं पर कर	8,292.06	16.89
B. करेत्तर राजस्व	**4,366.55**	**8.90**
अन्य राजकोषीय सेवाएँ	0.00	0.00
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ	784.11	1.60
सामान्य सेवाएँ	1,933.79	3.94
सामाजिक सेवाएँ	526.54	1.07
आर्थिक सेवाएँ	1,122.11	2.29
C. सहायक अनुदान और अंशदान	**16,996.61**	**34.63**
योग - राजस्व प्राप्तियाँ	**49,082.70**	**100**

2.2.2 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति

(₹करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कर राजस्व (राज्य द्वारा उघाया गया)	12,188 (5)	11,513 (5)	11,937(5)	14,176 (5)	17,102(6)
केन्द्रीय करों/शुल्कों का राज्यांश	8,011 (4)	6,902 (3)	6,569(3)	9,906 (4)	10,617(3)
करेत्तर राजस्व	3,310 (1)	3,999 (2)	4,171(2)	2,756 (1)	4,367(1)
सहायक अनुदान	7,707 (3)	8,309 (3)	15,527(6)	16,219 (6)	16,997(6)
योग राजस्व प्राप्तियाँ	31,216 (13)	30,723 (13)	38,204(16)	43,057 (16)	49,083(16)
जीएसडीपी	2,30,314	2,39,247	2,36,860	2,72,159	3,02,621[2]

नोट: कोष्ठक में दिए गए आँकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता दर्शाते हैं | वर्ष 2022-23 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 3,02620.68 करोड़ का आँकड़ा (वर्तमान मूल्यों पर) अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय की वेबसाइट से लिया गया है |

[1]राज्य को समनुदेशित शुद्ध आय का भाग सम्मिलित [भारत सरकार से प्राप्त] है |

[2]*अग्रिम अनुमान*

हालाँकि 2022-23 में जीएसडीपी में पिछले वर्ष की तुलना में 11.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि राजस्व प्राप्तियों में 14.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई | पिछले वर्ष की तुलना में कर राजस्व (राज्यों को समनुदेशित शुद्ध आय का भाग सहित) में 15.10 प्रतिशत की वृद्धि, गैर-कर राजस्व में 58.45 प्रतिशत की वृद्धि और सहायक अनुदान में 4.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई

राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृति

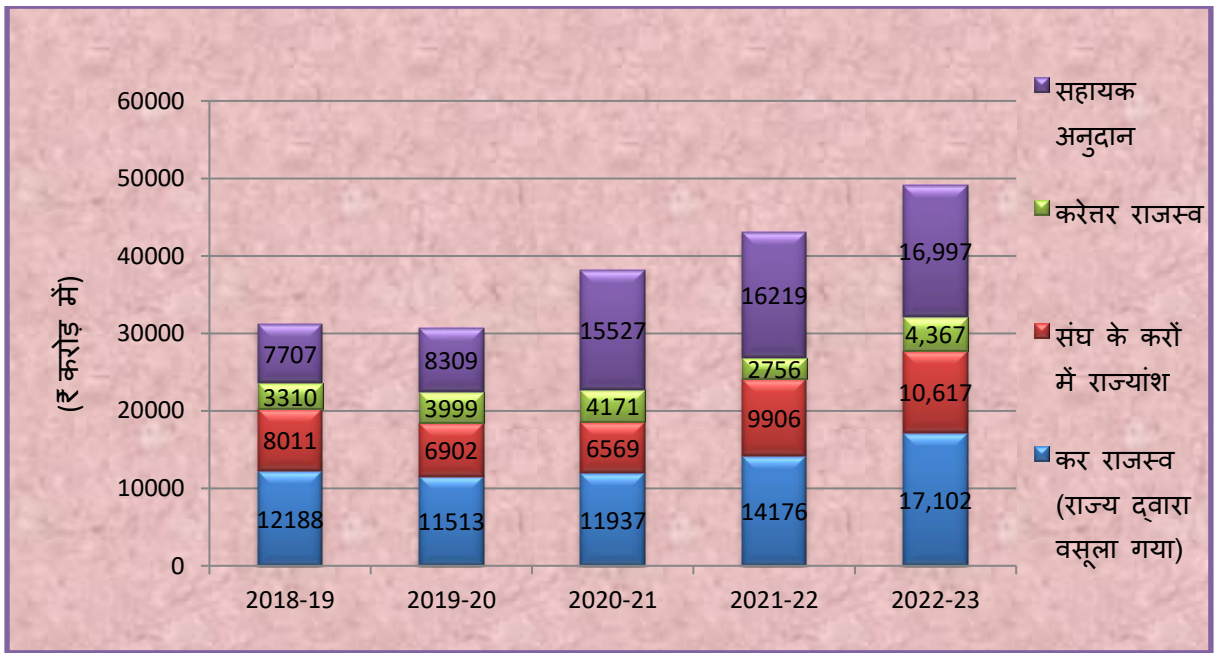

2.3 कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
(अ) वस्तु एवं सेवा कर[3]	6,937(3.01)	6,890 (2.88)	7,007(2.96)	8,803 (3.23)	**10341(3.42)**
(ब) आय और व्यय पर अन्य कर	4,853(2.11)	4,197(1.76)	4,012(1.69)	5,924 (2.18)	**7035 (2.32)**
(स) सम्पति और पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	1,051(0.45)	1,096 (0.46)	1,124(0.47)	1,529 (0.56)	**2052 (0.68)**
(द) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर	7,359(3.20)	6,232 (2.60)	6,363(2.69)	7,826 (2.88)	**8292(2.74)**
कुल कर राजस्व	**20,200(8.77)**	**18,415(7.70)**	**18,506(7.81)**	**24,082 (8.85)**	**27,720(9.16)**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2,30,314	2,39,247	2,36,860	**2,72,159**	**302621**

नोट: कोष्ठक में दिए गए आँकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता दर्शाते हैं |

[3] जीएसटी 01/07/2017 को लागू किया गया था |

2022-23 के दौरान कुल कर राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से वस्तु एवं सेवा कर (₹1,538 करोड़), आय एवं व्यय पर कर (₹1,111 करोड़) और वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर (₹523 करोड़) के तहत अधिक संग्रह के कारण थी।

जीएसडीपी के अनुपात में प्रमुख करों की प्रवृत्ति

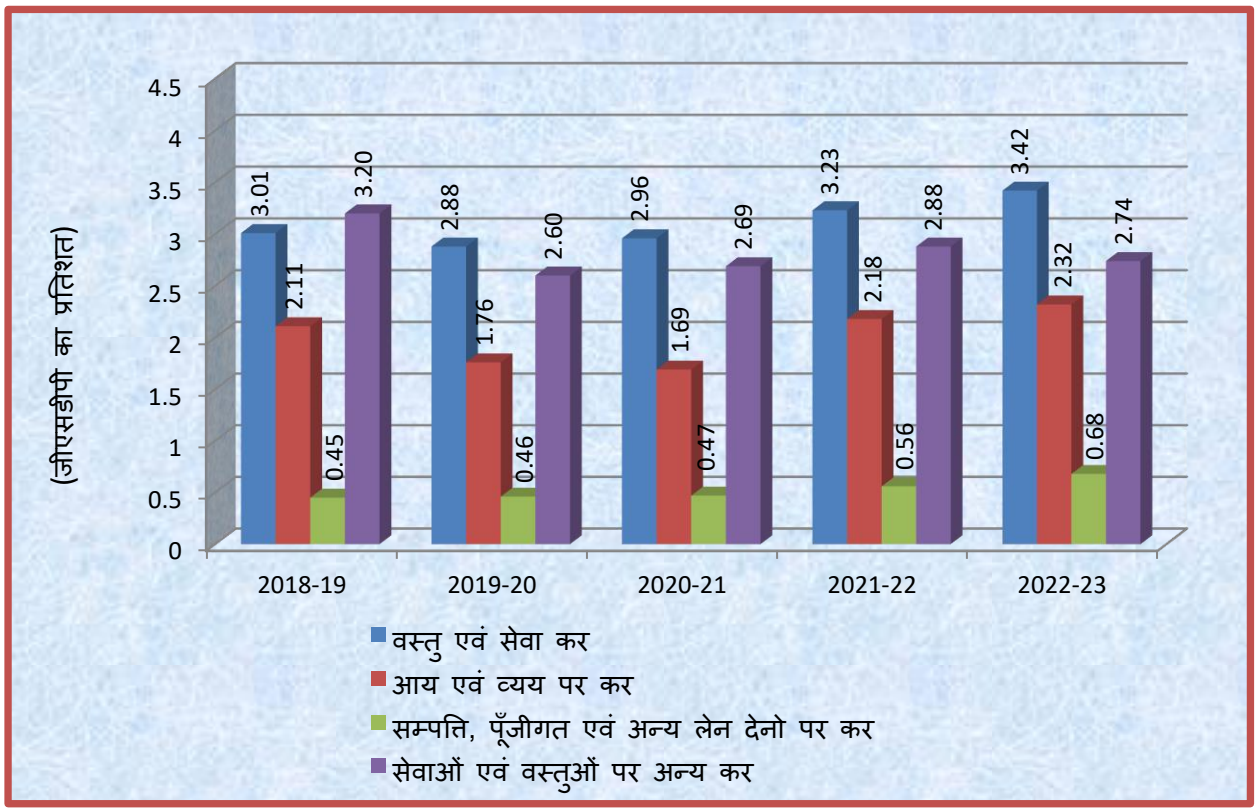

2.3.1 राज्य का स्वकर एवं केन्द्रीय करों में राज्यांश

राज्य सरकार का कर राजस्व दो स्रोतों नामतः राज्य का अपना कर संग्रह और संघ करों का विचलन से बनता है |

वर्ष	कर राजस्व (₹ करोड़ में)	संघ के कर और शुल्कों में राज्यांश (₹ करोड़ में)	राज्य का स्वयं का कर राजस्व	
			कर राजस्व (₹ करोड़ में)	जीएसडीपी से *प्रतिशत*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2018-19	20,200	8,012	12,188	5.29
2019-20	18,415	6,902	11,513	4.81
2020-21	18,506	6,569	11,937	5.04
2021-22	24,082	9,906	14,176	5.21
2022-23	27,720	10,617	17,102	5.65

निम्न तालिका में पांच वर्षों की अवधि में दोनों स्रोतों से प्राप्त कर राजस्व की तुलनात्मक स्थिति को दर्शाया गया है: *(₹ करोड़ में)*

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राज्य का स्वकर संग्रह	12,188	11,513	11,937	14,176	**17,102**
संघ करों का विचलन	8,012	6,902	6,569	9,906	**10,617**
कुल कर राजस्व	20,200	18,415	18,506	24,082	**27,720**
कुल कर राजस्व में राज्य के स्वकर का *प्रतिशत*	60.34	62.52	64.50	58.87	**61.70**

समग्र कर राजस्व में राज्य के स्वकर संग्रह का अनुपात 2018-19 में बढ़कर 60 प्रतिशत, 2019-20 में बढ़कर 63 प्रतिशत, 2020-21 में बढ़कर 65 प्रतिशत और 2021-22 में घटकर 59 प्रतिशत और 2022-23 में बढ़कर 62 प्रतिशत हो गया|

2.3.2 पिछले पांच वर्षों में राज्य के अपने कर संग्रह की प्रवृति (₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1. **राज्य वस्तु एवं सेवा कर**	4,802	4,931	5,053	**5,973**	7,341
2. **बिक्री, व्यापार आदि पर कर**	1,883	1,811	1,858	2,302	2,555
3. **राज्य उत्पाद शुल्क**	2,871	2,727	2,966	3,258	3,526
4. **वाहन पर कर**	909	908	741	889	1,211
5. **स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क**	1,015	1,072	1,107	1,488	1,987
6. **बिजली पर कर और शुल्क**	506	39	189	224	294
7. **भू राजस्व**	34	24	17	40	65
8. **अन्य कर**	168	01	06	02	123
राज्य का कुल स्वकर	12,188	11,513	11,937	14,176	17,102

2.4 कर संग्रह की लागत

(₹ करोड़ में)

	2017-18	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1. स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क					
राजस्व संग्रह	1,015	1,072	1,107	1,488	1,987
संग्रह पर व्यय	12	13	17	15	32
कर संग्रह की लागत	1.18%	1.21%	1.54%	1.01%	1.61%
2 राज्य उत्पाद शुल्क					
राजस्व संग्रह	2,871	2,727	2,966	3,258	3,526
संग्रह पर व्यय	26	25	28	30	32
कर संग्रह की लागत	0.91%	0.92%	0.94%	0.92%	0.91%
3. बिक्री,व्यापार आदि पर कर					
राजस्व संग्रह	1,883	1,811	1,858	2,302	2,555
संग्रह पर व्यय	41	8	35	38	20
कर संग्रह की लागत	2.18%	0.44%	1.88%	1.65%	0.78%
4. वाहनों पर कर					
राजस्व संग्रह	909	908	741	889	1,212
संग्रह पर व्यय	0.28	0.21	0.20	0.48	0.90
कर संग्रह की लागत	0.03%	0.02%	0.03%	0.05%	0.07%
5.राज्य वस्तु एवं सेवा कर					
राजस्व संग्रह	4,802	4,931	5,054	5,973	7,341
संग्रह पर व्यय	86	87	90	97	120
कर संग्रह की लागत	1.79%	1.76%	1.78%	1.62%	1.63%

2.5 पिछले पांच वर्षों में केंद्रीय करों में राज्यांश की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	1,977	1,959	1,953	2,830	3,000
समेकित वस्तु एवं सेवा कर	158	…	…	…	…
निगम कर	2,786	2,353	1,981	2,986	3,560
आय पर निगम कर से भिन्न कर	2,052	1,844	2,031	2,938	3,475
आय और व्यय पर अन्य कर	15	…	…	…	…
सम्पति कर	1	…	…	01	…
सीमा शुल्क	568	438	350	676	417
संघ उत्पाद शुल्क	377	304	221	338	131
सेवा कर	74	…	28	128	17
वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	4	4	5	09	17
संघ के करों/शुल्कों में राज्यांश	**8,012**	**6,902**	**6,569**	**9,906**	10,617
कुल कर राजस्व	**20,200**	**18,415**	**18,506**	**24,082**	27,720

कुल कर राजस्व से केंद्रीय करों में राज्यांश का प्रतिशत	39.66	37.48	35.50	41.13	38.30

उत्तराखंड सरकार को 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान सभी साझा करने योग्य केंद्रीय करों की शुद्ध आय से 35.50 प्रतिशत से 41.13 प्रतिशत के बीच कर राजस्व का हिस्सा प्राप्त हुआ।

2.6 सहायक अनुदान

सहायक अनुदान, राज्य योजनाओं, केन्द्रीय योजनाओं एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु (नीति आयोग द्वारा अनुशंसित)एवं वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान के रूप में भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता को प्रदर्शित करता है |

2022-23 के दौरान सहायक अनुदान के तहत कुल प्राप्तियाँ ₹1,6997 करोड़ थीं जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

सहायक अनुदान

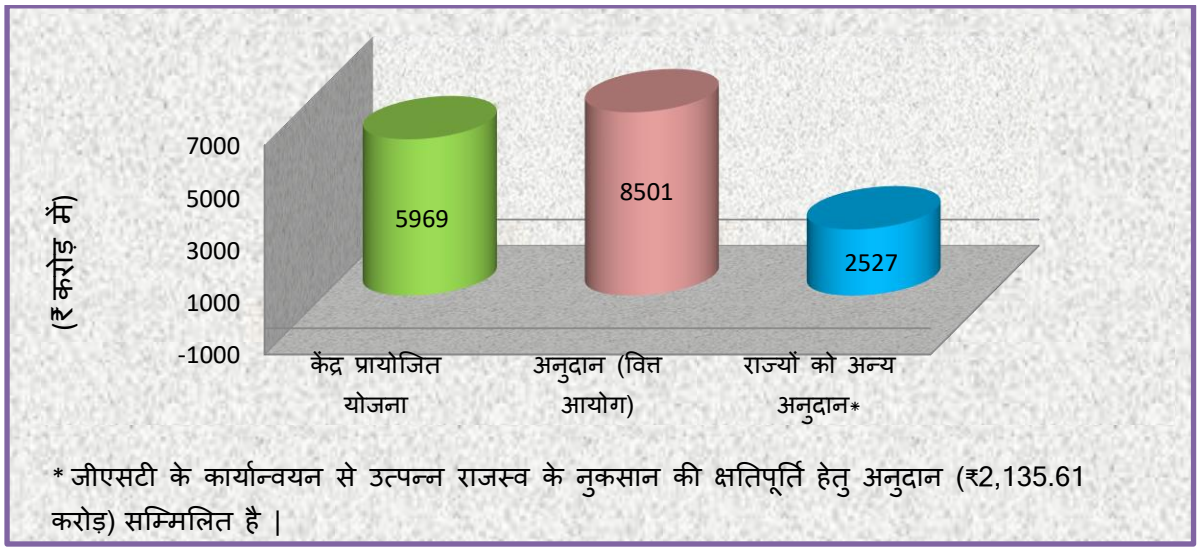

* जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान (₹2,135.61 करोड़) सम्मिलित है |

सहायक अनुदान की प्रवृति

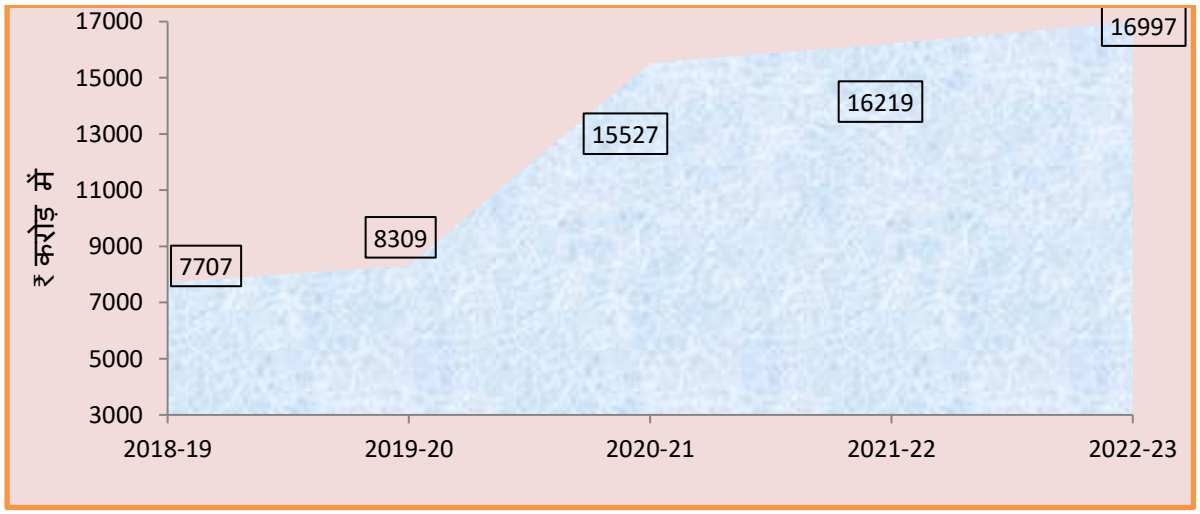

2.7 लोक ऋण

विगत पांच वर्षों में लोक ऋण (आँकड़े वर्ष 2022-23 के दौरान शुद्ध वृद्धि/कमी को दर्शाते हैं) की स्थिति की प्रवृत्ति:

₹करोड़ में

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
आंतरिक ऋण	5,156	3,994	3,865	458	-201
केन्द्रीय ऋण	62	23	3,000	3,630	1,157
कुल	5,218	4,017	6,865	4,088	965

वर्ष 2022-23 के दौरान, कुल ₹32,00.00 करोड़ के पाँच ऋण खुले बाजार से 7.62 *प्रतिशत* से 7.85 *प्रतिशत* तक की ब्याज दरों पर लिए गये और वे वर्ष 2032 एवं 2033 में शोधनीय हैं । इसके अलावा, राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थानों से ₹616.38 करोड़ का ऋण लिया । भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों से ₹ 4,395.47 करोड़ की राशि प्राप्त की गई। इस प्रकार वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार द्वारा कुल ₹8,211.85 करोड़ का आंतरिक ऋण लिया गया। सरकार ने ऋण और अग्रिम के रूप में भारत सरकार से भी ₹1,219.22 करोड़ प्राप्त किए।

उधार निधियाँ अर्थात पूँजीगत व्यय

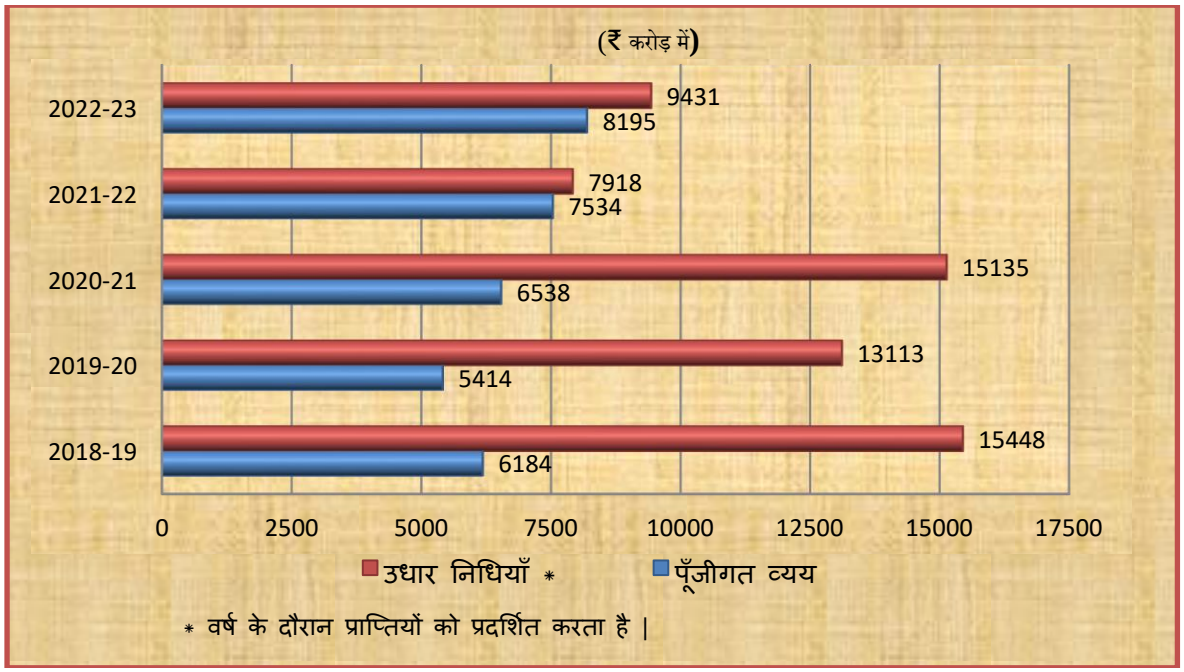

अध्याय 3
व्यय

3.1 परिचय

व्यय को राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है | राजस्व व्यय संगठन के संचालन हेतु दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है | पूँजीगत व्यय स्थाई परिसम्पतियों के सृजन या इस प्रकार की परिसम्पतियों की उपयोगिता बढ़ाने या स्थाई देयताओं को कम करने के लिए किया जाता है |

सरकारी लेखे में व्यय को शीर्ष स्तर पर तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है; सामान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ और आर्थिक सेवाएँ | इन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यय के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का उल्लेख नीचे दी गई तालिका में किया गया है:

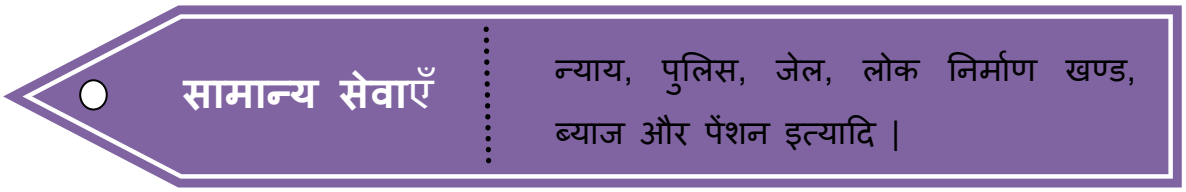

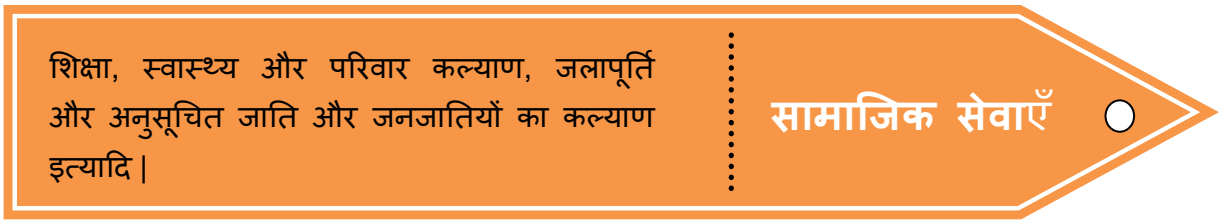

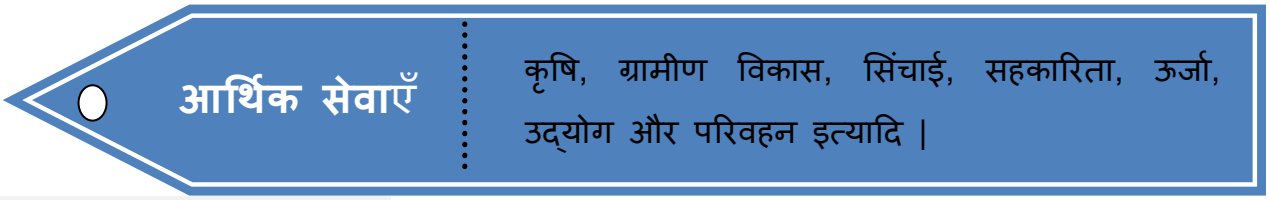

3.2 राजस्व व्यय

पिछले पांच वर्षों के दौरान विनियोग लेखे के अनुसार बजट अनुमानों के विरुद्ध राजस्व व्यय की कमी नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बजट अनुमान	37,334	40,539	44,461	48,193	**51,290**
वास्तविक आँकड़े	32,196	32,859	37,091	38,929	**43,773**
अन्तर	5,138	7,680	7,370	9,264	**7,517**
बजट अनुमान से अन्तर का प्रतिशत	14	19	17	19	**15**

(स्रोत: सम्बंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

वर्ष 2022-23 के दौरान कुल राजस्व व्यय का लगभग 60 *प्रतिशत* प्रतिबद्ध व्यय जैसे वेतन (₹13,515 करोड़), ब्याज भुगतान (₹5,104 करोड़), पेंशन (₹7,181 करोड़) और सब्सिडी (₹289 करोड़) पर किया गया | पिछले पांच वर्षों में किए गए प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थिति नीचे दी गई है:

(₹करोड़ में)

घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल राजस्व व्यय	32,196	32,859	37,091	38,929	43,773
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय[1]	21,570	21,760	22,835	23,865	26,089
कुल राजस्व व्यय से प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का प्रतिशत	67	66	62	61	60
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	10,626	11,099	14,256	15,064	17,684

यह देखा जा सकता है कि 2022-23 के दौरान विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 66.42 *प्रतिशत* बढ़ोतरी के साथ वर्ष 2018-19 में ₹10,626 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹17,684 करोड़ हो गया । कुल राजस्व व्यय 35.96 *प्रतिशत* बढ़ोतरी के साथ वर्ष 2018-19 में ₹32,196 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹43,773 करोड़ हो गया और इसी अवधि में प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 20.95 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई |

[1]प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वेतन, ब्याज, पेंशन और सब्सिडी भुगतान पर किया गया खर्च सम्मिलित है |

3.2.1 राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण (2022-23)

(₹ करोड़ में)

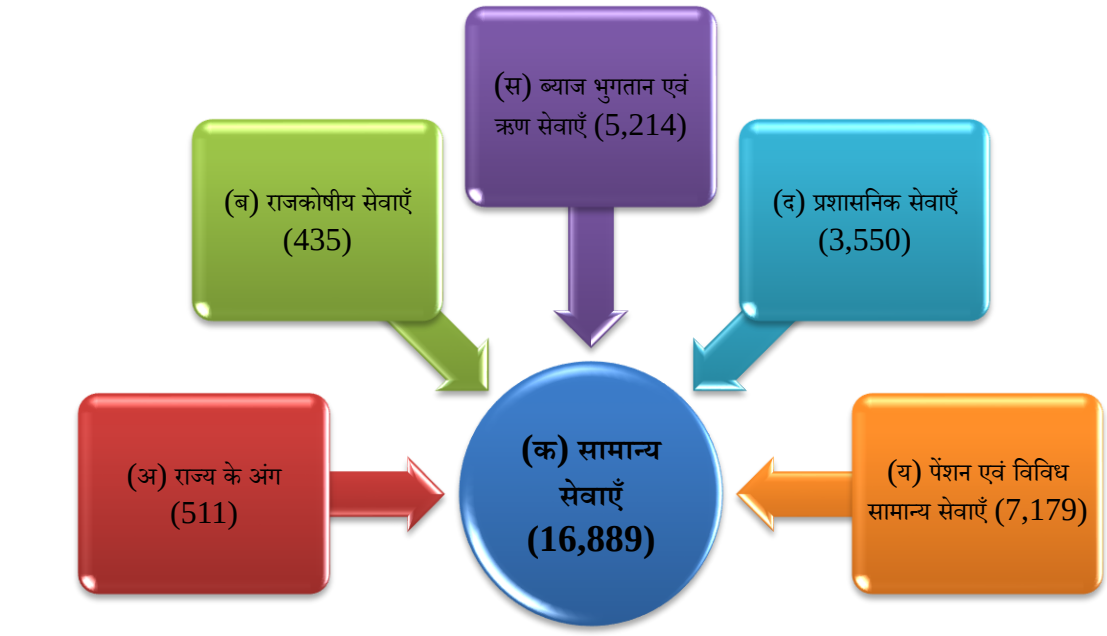

(द) उर्जा
(17)
(य) उद्योग एवं खनिज
(248)
(स) सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण
(501)
(र) परिवहन
(572)
(ब) ग्रामीण विकास
(2,184)
(ल) विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण
(66)
(अ) कृषि एवं सम्बंधित गतिविधियाँ
(2,901)
(ग) आर्थिक सेवाएँ
(6,687)
(व) सामान्य आर्थिक सेवाएँ
(198)

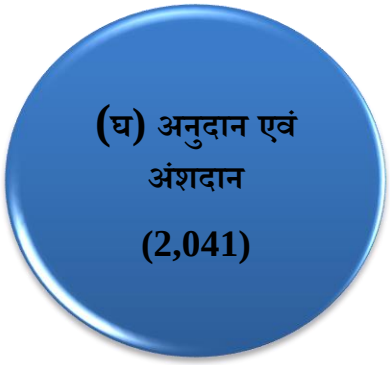
(घ) अनुदान एवं अंशदान
(2,041)

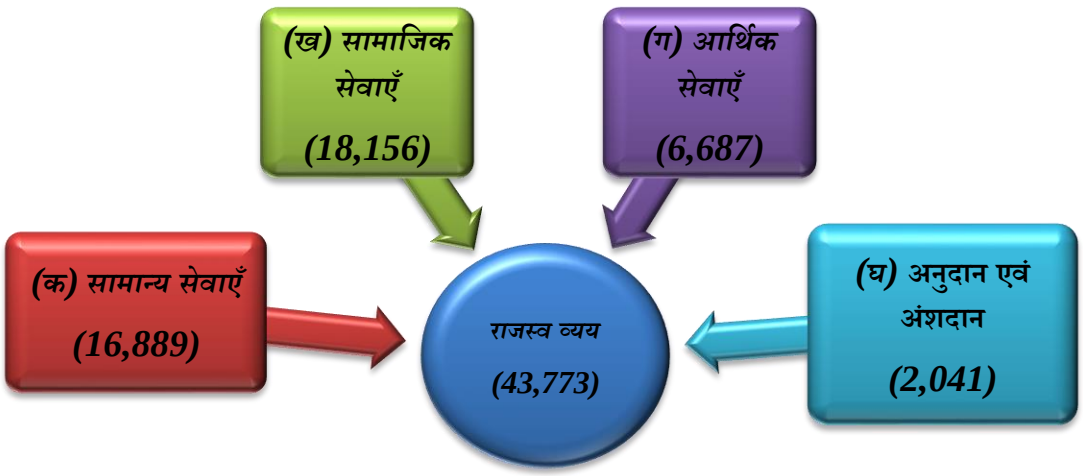
(ख) सामाजिक सेवाएँ
(18,156)
(ग) आर्थिक सेवाएँ
(6,687)
(क) सामान्य सेवाएँ
(16,889)
राजस्व व्यय
(43,773)
(घ) अनुदान एवं अंशदान
(2,041)

3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य घटक (2018-19 से 2022-23) (₹ करोड़ में)

घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सामाजिक सेवाएँ	12,209	12,593	14,762	15,573	**18,156**
आर्थिक सेवाएँ	5,003	4,704	5,571	6,148	**6,687**
ऋण सेवाएँ	4,475	4,654	4,923	5,149	**5,214**
सामान्य सेवाएँ (ऋण सेवाओं पर व्यय को छोड़कर)	9,050	9,191	9,903	10,519	**11,675**
अनुदान एवं अंशदान	1,459	1,717	1,932	1,540	**2,041**

राजस्व व्यय के मुख्य घटकों की प्रवृति

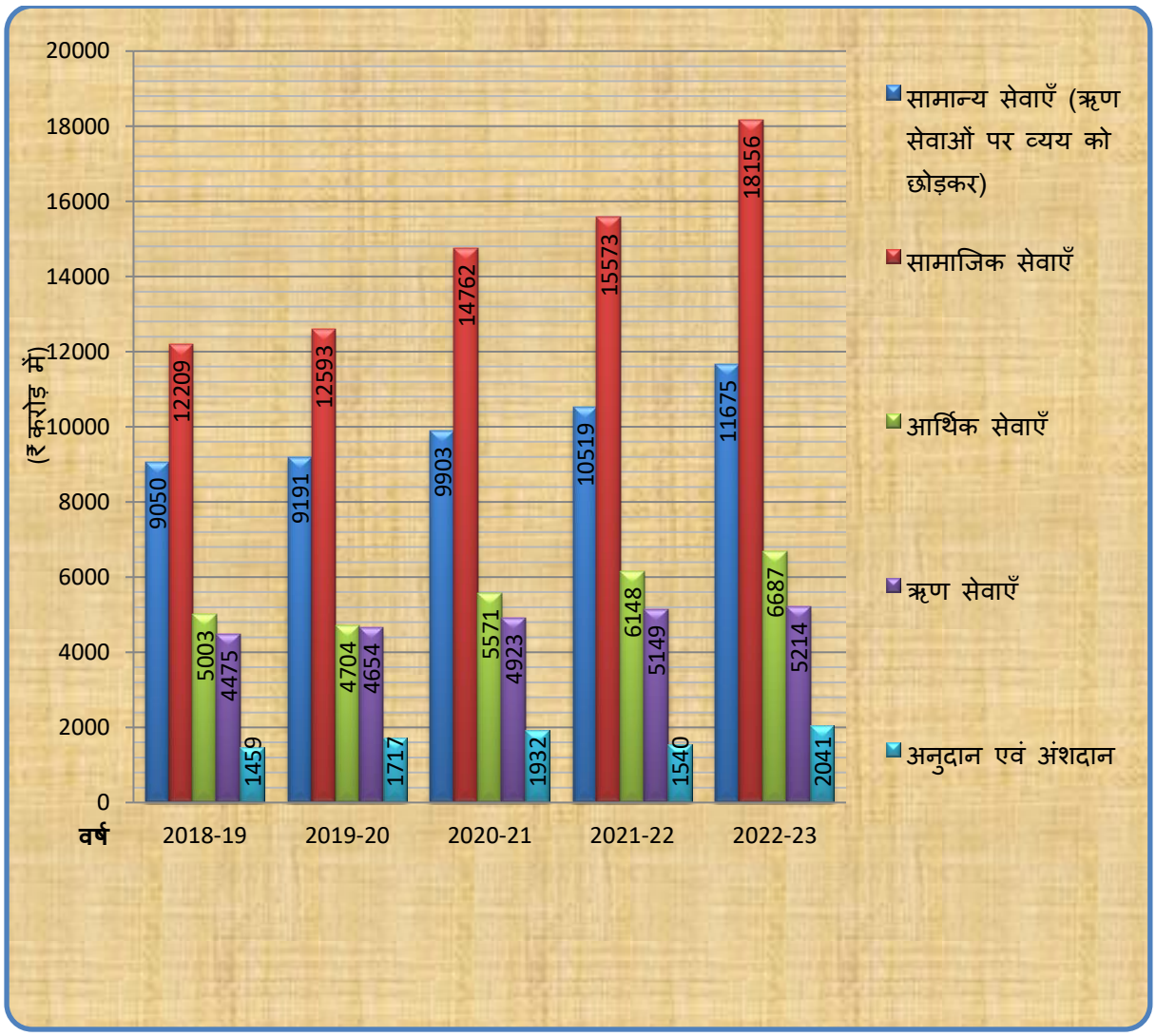

3.3 पूँजीगत व्यय

यदि विकास प्रक्रिया को बनाए रखना है तो पूँजीगत व्यय आवश्यक है। वर्ष 2022-23 के दौरान पूँजीगत व्यय ₹8,195 करोड़ (जी.एस.डी.पी. का 2.71 प्रतिशत) बजट अनुमान (₹11,988 करोड़) से ₹3,793 करोड़ कम था | पूँजीगत व्यय में वृद्धि ने (वर्ष 2019-20 को छोड़कर) वर्ष 2018-19 से स्थिर तालमेल बिठाया है |

यह निम्न तालिका में देखा जा सकता है: (₹करोड़ में)

क्र.सं.	घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	बजट (बजट अनुमान)	6,584	6,572	7,383	8,973	11,988
2	वास्तविक व्यय[2]	6,184	5,414	6,538	7,534	8,195
3	बजट अनुमानों से वास्तविक व्यय की *प्रतिशतता*	94	82	89	84	68
4	पूँजीगत व्यय में वार्षिक वृद्धि	5%	(-) 12%	21%	15%	9%
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2,30,314	2,39,247	2,36,860	2,72,159	3,02,621
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि	4.58 %	3.88%	-1.00 %	14.90 %	11.19%

3.3.1 पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार ने विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर ₹197 करोड़ (मुख्य सिंचाई पर ₹137 करोड़, मध्यम सिंचाई पर ₹6 करोड़ और लघु सिंचाई पर ₹54 करोड़) व्यय किये | इसके अतिरिक्त सरकार ने सड़कों एवं पुलों के निर्माण पर ₹1,298 करोड़ व्यय किये तथा सरकारी एवं अन्य कंपनियों और सहकारी समितियों में ₹225 करोड़ निवेश किये |

3.3.2 पिछले पांच वर्षों में पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण (₹करोड़ में)

क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सामान्य सेवाएँ	454(7)	362 (7)	755(12)	1,085 (14)	1,608(20)
सामाजिक सेवाएँ	1,099(17)	1,610 (29)	1,938(29)	2,262 (29)	2,013(24)
आर्थिक सेवाएँ	4,631(73)	3,442(62)	3,845(58)	4,187 (53)	4,573(55)
ऋण एवं अग्रिम	183(3)	126 (2)	38(1)	347 (4)	94(1)
योग	**6,367**	**5,540**	**6,576**	**7,881**	**8,288**

नोट: कोष्ठक के आँकड़े कुल पूँजीगत व्यय के प्रतिशत को दर्शाते हैं |

[2]ऋण और अग्रिम पर व्यय सम्मिलित नहीं है |

पूँजीगत व्यय के क्षेत्रवार वितरण की प्रवृति

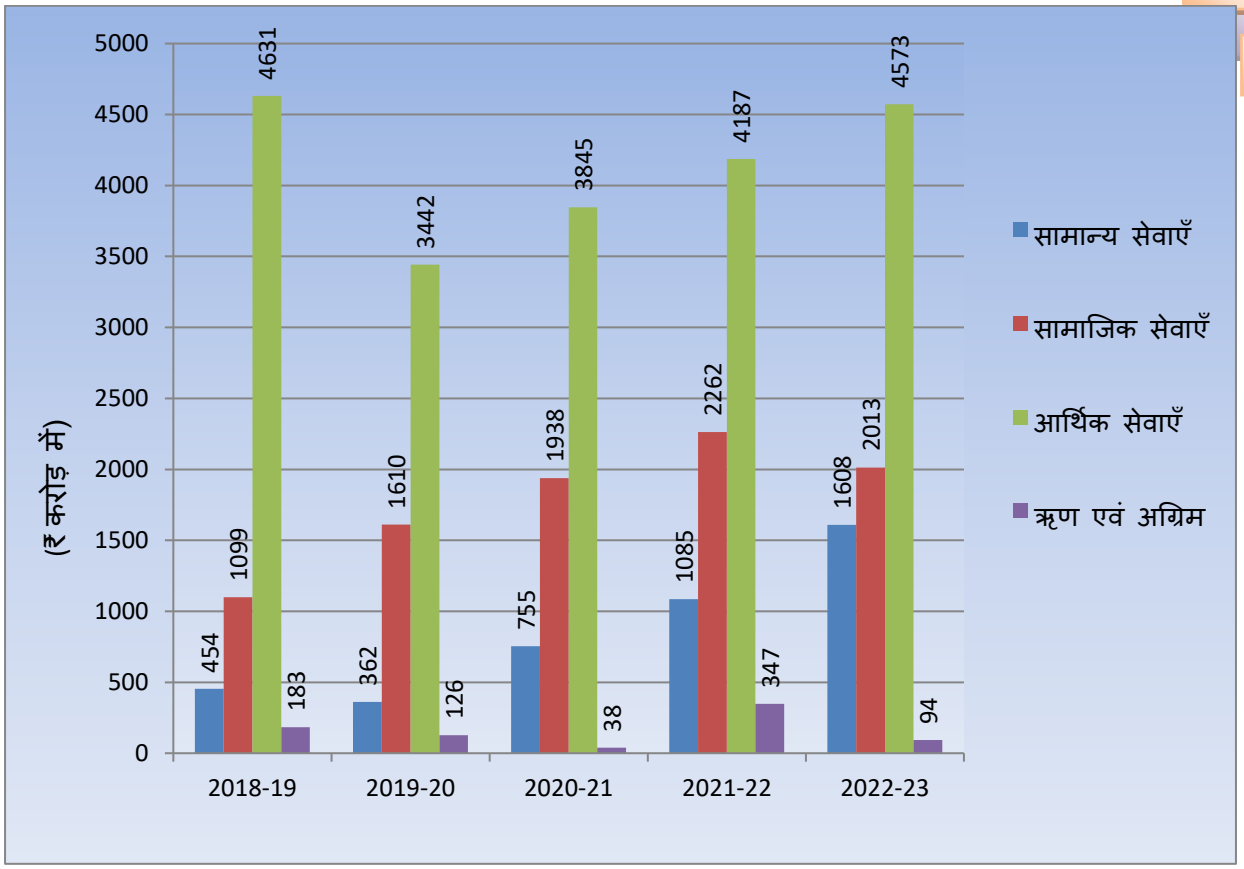

3.3.3 पूँजीगत एवं राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण

विगत पांच वर्षों में पूँजीगत और राजस्व व्यय का तुलनात्मक क्षेत्रवार विवरण निम्न दिखाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
क	सामान्य सेवाएँ	पूँजीगत	454	362	755	1,085	1,608
		राजस्व	13,525	13,845	14,826	15,668	16,889
ख	सामाजिक सेवाएँ	पूँजीगत	1,099	1,610	1,938	2,262	2,013
		राजस्व	12,209	12,593	14,762	15,573	18,156
ग	आर्थिक सेवाएँ	पूँजीगत	4,631	3,442	3,845	4,187	4,574
		राजस्व	5,003	4,704	5,571	6,148	6,687
घ	सहायक अनुदान एवं अंशदान	पूँजीगत	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		राजस्व	1,459	1,717	1,932	1,540	2,041

3.4 प्रतिबद्ध व्यय

पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में वेतन, पेंशन, सब्सिडी और ब्याज भुगतान पर व्यय में वृद्धि देखी गई |

प्रतिबद्ध व्यय की प्रवृति

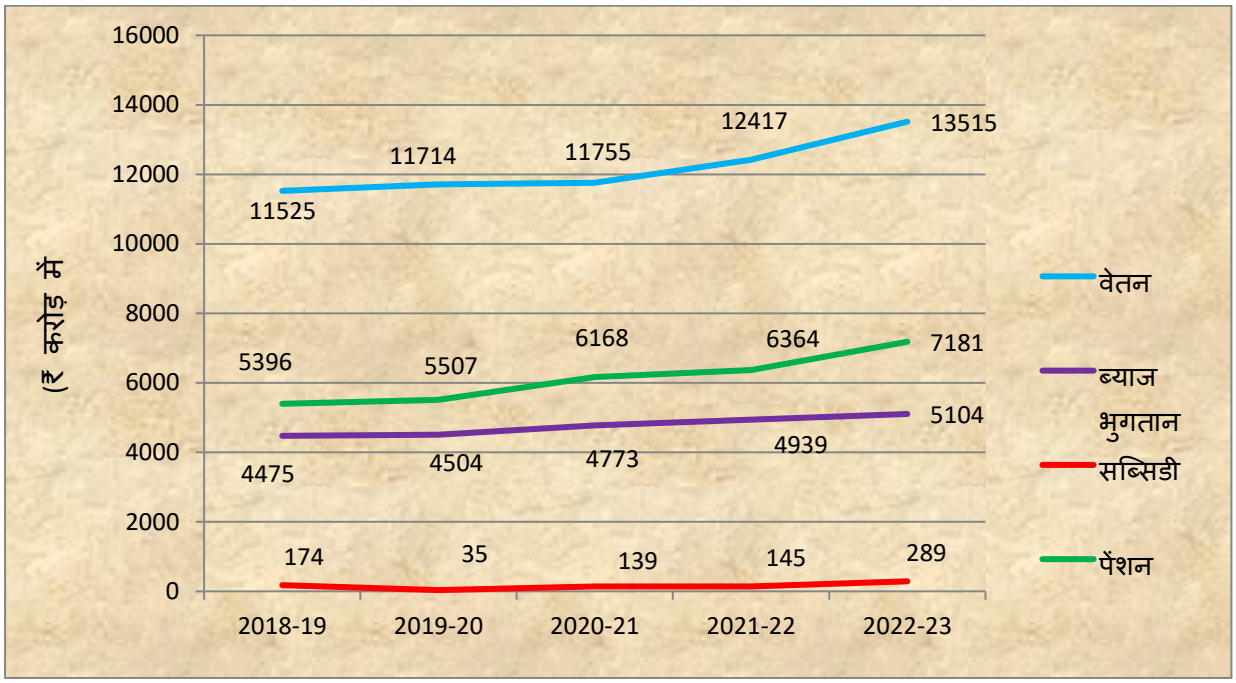

पिछले पांच वर्षों में राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों की तुलना में प्रतिबद्ध व्यय की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
प्रतिबद्ध व्यय	21,570	21,760	22,835	23,865	26,089
राजस्व व्यय	32,196	32,859	37,091	38,929	43,773
राजस्व प्राप्तियाँ	31,216	30,723	38,204	43,057	49,083
प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व प्राप्तियों से *प्रतिशत*	69	71	60	55	53
प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व व्यय से *प्रतिशत*	67	66	62	61	60

2018-19 से 2022-23 के लिए प्रतिबद्ध व्यय में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व व्यय में इसी अवधि के दौरान 36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे सरकार को विकास कार्यों के लिए धन की कमी रही |

अध्याय 4
विनियोग लेखे

4.1 वर्ष 2022-23 के विनियोग लेखे का सारांश

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	अभ्यर्पण	योग	वास्तविक व्यय	बचत(-) / आधिक्य (+)
1	राजस्व दत्तमत भारित	42,594.08 *6,419.23*	2,072.46 *203.97*	0.00 *0.00*	44,666.54 *66,23.20*	38,434.43 *5,338.30*	(-)6,232.11 *(-)1,284.90*
2	पूँजीगत दत्तमत भारित	1,08,35.27 *0.00*	1,147.41 *0.00*	0.00 *0.00*	11,982.68 *0.00*	8,251.77 *0.00*	(-)3,730.91 *0.00*
3	लोक ऋण भारित	*5,568.24*	*2,010.00*	*0.00*	*7,578.24*	*8,474.77*	*(+)896.53*
4	ऋण एवं अग्रिम दत्तमत	154.67	6.59	0.00	*161.26*	93.63	*(-)67.63*
	कुल योग	**65,571.49**	**5,440.43**	**0.00**	**71,011.92**	**60,592.90**	**(-)10,419.02**

4.2 विगत पांच वर्षों के दौरान बचत /आधिक्य की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

	बचत(-)/आधिक्य (+)				
वर्ष	**राजस्व**	**पूँजीगत**	**लोक ऋण**	**ऋण एवं अग्रिम**	**कुल**
2018-19	(-) 4,443.90	(-) 100.84	(+) 7,048.14	(-) 100.50	**(+) 2,402.90**
2019-20	(-)7,429.38	(-)1,596.81	(+)6,219.72	(-)157.03	**(-)2,963.50**
2020-21	(-)7,370.06	(-)2,772.89	(+)4,766.28	(-)213.98	**(-)5,590.65**
2021-22	(-)9,263.80	(-)4,758.81	(-)411.42	(+)115.98	**(-)14,318.05**
2022-23	(-)7,517.01	(-)3,730.91	(+)896.53	(-)67.63	**(-)10,419.02**

4.3 महत्वपूर्ण बचतें

अनुदान के तहत पर्याप्त बचत कुछ योजनाओं /कार्यक्रमों के या तो गैर-कार्यान्वयन या धीमे कार्यान्वयन को इंगित करती है। लगातार और महत्वपूर्ण शुद्ध बचत वाले कुछ अनुदान नीचे दिए गए हैं:-

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं०	नामांकन	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	661	577	1,364	1,326	573
15	कल्याण योजनायें	410	454	558	772	774
23	उद्योग	100	97	247	172	105
30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	417	469	404	940	757
31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	176	180	184	235	240

2022-23 के दौरान कुल ₹ 5,440.43 करोड़ (कुल मूल अनुदान का 8.30 प्रतिशत) के अनुपूरक अनुदान कुछ मामलों में अनावश्यक साबित हुए, जहाँ मूल आवंटन के सापेक्ष भी वर्ष के अंत में महत्वपूर्ण बचत हुई थी | कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:-

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं०	नामांकन	अनुभाग	मूल बजट	वास्तविक व्यय	मूल बजट के सापेक्ष बचत	अनुपूरक बजट
04	2014- न्याय प्रशासन 102- उच्च न्यायालय 03- उच्च न्यायालय	राजस्व भारित	*64.03*	*54.79*	*9.24*	*3.76*
06	4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय *60 - अन्य भवन* 051 - निर्माण 97- बाह्य सहायतित परियोजना	पूंजीगत दत्तमत	210.00	187.00	23.00	10.00

अनुदान सं०	नामांकन	अनुभाग	मूल बजट	वास्तविक व्यय	मूल बजट के सापेक्ष बचत	अनुपूरक बजट
07	3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन 200- अन्य विविध क्षतीपूर्ति एवं समनुदेशन 02- राज्य वित्त आयोग	राजस्व दत्तमत	1,727.88	1,550.05	177.83	105.84
10	2055- पुलिस 104- विशेष पुलिस 03- राज्य शस्त्र कान्सटेबुलरी-मुख्य	राजस्व दत्तमत	291.36	257.09	34.27	0.92
11	2203- तकनीकी शिक्षा 105- बहुशिल्प (पॉलिटेक्नीक) विद्यालय 03- सामान्य पॉलिटेक्नीक	राजस्व दत्तमत	127.42	115.35	12.07	1.40
12	2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ - पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 110- अस्पताल तथा औषधालय 95- केंद्रीय पोषित योजना में राज्य का अंश	राजस्व दत्तमत	141.87	133.54	8.33	60.00
13	2217-शहरी विकास 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता 97- बाह्य सहायतित परियोजना	राजस्व दत्तमत	41.47	22.60	18.87	2.01

अनुदान सं०	नामांकन	अनुभाग	मूल बजट	वास्तविक व्यय	मूल बजट के सापेक्ष बचत	अनुपूरक बजट
15	2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02- समाज कल्याण 102 -बाल कल्याण 01- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	राजस्व दत्तमत	476.08	255.38	220.70	25.92
17	4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय 800- अन्य व्यय 98- नाबार्ड पोषित	पूंजीगत दत्तमत	10.00	6.29	3.71	16.72
19	2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 102- सामुदायिक विकास 01- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	राजस्व दत्तमत	232.00	141.79	90.21	45.28
22	5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04- जिला तथा अन्य सड़कें 337- सड़क निर्माण कार्य 01- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	पूंजीगत दत्तमत	340.00	334.34	5.66	70.00
28	2404- डेरी विकास 102- डेयरी विकास परियोजनाएं 98- नाबार्ड	राजस्व दत्तमत	10.00	7.64	2.36	3.00
30	2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02- समाज कल्याण 102- बाल कल्याण 02- अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	राजस्व दत्तमत	17.24	15.64	1.60	2.89

अनुदान सं०	नामांकन	अनुभाग	मूल बजट	वास्तविक व्यय	मूल बजट के सापेक्ष बचत	अनुपूरक बजट
31	2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02- समाज कल्याण 102- बाल कल्याण 01- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	राजस्व दत्तमत	13.48	9.37	4.11	11.55

कुछ उदाहरण, जहां अनुपूरक आवंटन किए जाने के बाद भी वर्ष के अंत में अधिक व्यय हुए, नीचे दिए गए हैं: *(₹करोड़ में)*

अनुदान सं०	नामांकन	अनुभाग	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	कुल बजट के सापेक्ष आधिक्य
07	6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण 110- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय-अग्रिम 03- अर्थोपाय अग्रिम का प्रतिदान	पूंजीगत भारित	*1,200.00*	*2,000.00*	*3,200.00*	*4,395.47*	*1,195.47*

अध्याय 5
परिसम्पतियाँ एवं देयताएं

5.1 परिसम्पतियाँ

लेखों का मौजूदा रूप, अधिग्रहण/खरीद के वर्ष को छोड़कर, शासकीय परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन आदि का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाता है | इसी प्रकार, लेखे वर्तमान वर्ष में उत्पन्न होने वाली देनदारियों का प्रभाव प्रस्तुत करते हैं परन्तु वे भावी पीढ़ियों पर पड़ने वाले दायित्वों के समग्र प्रभाव को नहीं दर्शाते | वे केवल एक सीमा तक ब्याज की दर तथा मौजूदा ऋण की अवधि को दर्शाते हैं |

वर्ष 2022-23 के अंत में गैर वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में शेयर पूंजी के रूप में कुल निवेश ₹4,043.90 करोड़ था | हालांकि, वर्ष के दौरान कुल निवेश पर प्राप्त लाभांश ₹25.07 करोड़ (0.62 *प्रतिशत*) था | वर्ष 2022-23 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में निवेश में ₹224.96 करोड़ की वृद्धि हुई, जबकि लाभांश आय में ₹9.98 करोड़ की वृद्धि हुई |

1 अप्रैल 2022 को आर.बी.आई के पास नकद शेष राशि ₹112.47 करोड़ थी और मार्च 2023 के अंत में घटकर ₹131.82 करोड़ हो गई। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार द्वारा ₹44,343.10 करोड़ की राशि का 136 अवसरों पर 14 दिनों के ट्रेजरी बिलों में निवेश किया गया और 189 अवसरों पर ₹45,727.35 करोड़ के ट्रेजरी बिलों को भुनाया गया। वर्ष 2022-23 के दौरान निवेश की स्थिति को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है- :

(₹करोड़ में)

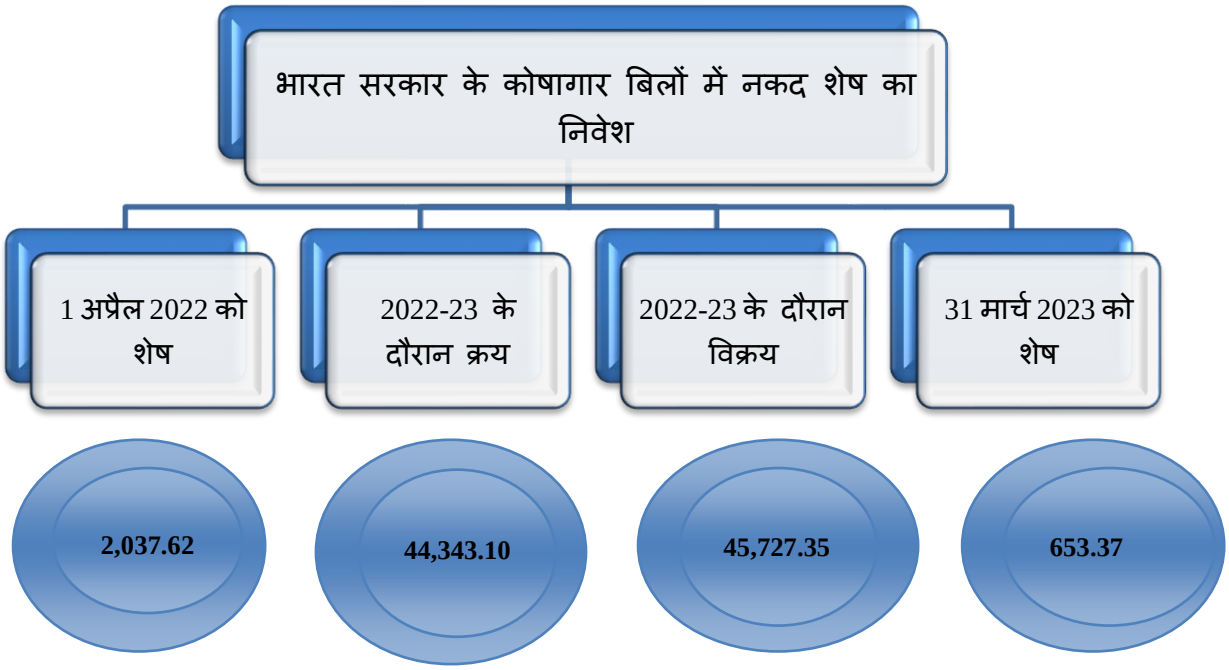

5.2 ऋण एवं दायित्व

भारत के संविधान का अनुच्छेद राज्य सरकार को संचित निधि की जमानत पर उधार लेने का 293 अधिकार देता है। भारत सरकार समय-समय पर वह सीमा निर्धारित करती है, जिस सीमा तक राज्य सरकार बाजार से उधार ले सकती है। उत्तराखंड सरकार के FRBM अधिनियम के अनुसार, GSDP राशन का ऋण 33.3 प्रतिशत से कम होगा। हालांकि मार्च 2023 के अंत में उत्तराखंड सरकार का कुल कर्ज ₹72,860 करोड़ (यानी जीएसडीपी का 24.08 प्रतिशत) राज्य सरकार के लोक ऋण और कुल दायित्वों का विगत पाँच वर्षों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	लोक ऋण (₹करोड़ में)	जीएसडीपी से *प्रतिशत*	लोक लेखा[2] (₹करोड़ में)	जीएसडीपी से *प्रतिशत*	कुल देन दारियाँ (₹करोड़ में)	जीएसडीपी से *प्रतिशत*
2018-19	46,233	20	11,806	5	58,039	25.20
2019-20	50,249	21	15,733	7	65,982	27.58
2020-21	54,799	23[3]	16,636	7	71,435	30.16[3]
2021-22	55,554	20[3]	15,821	6	71,375	26.23[3]
2022-23	**56,510**	**19**	**16,350**	**5**	**72,860**	**24.08**

नोट: आंकड़े वर्ष के अंत तक प्रगामी शेष हैं |

लोक ऋण और अन्य देनदारियों में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में ₹1,485 करोड़ (2.08 *प्रतिशत*) की शुद्ध वृद्धि हुई।

सरकारी दायित्वों की प्रवृति

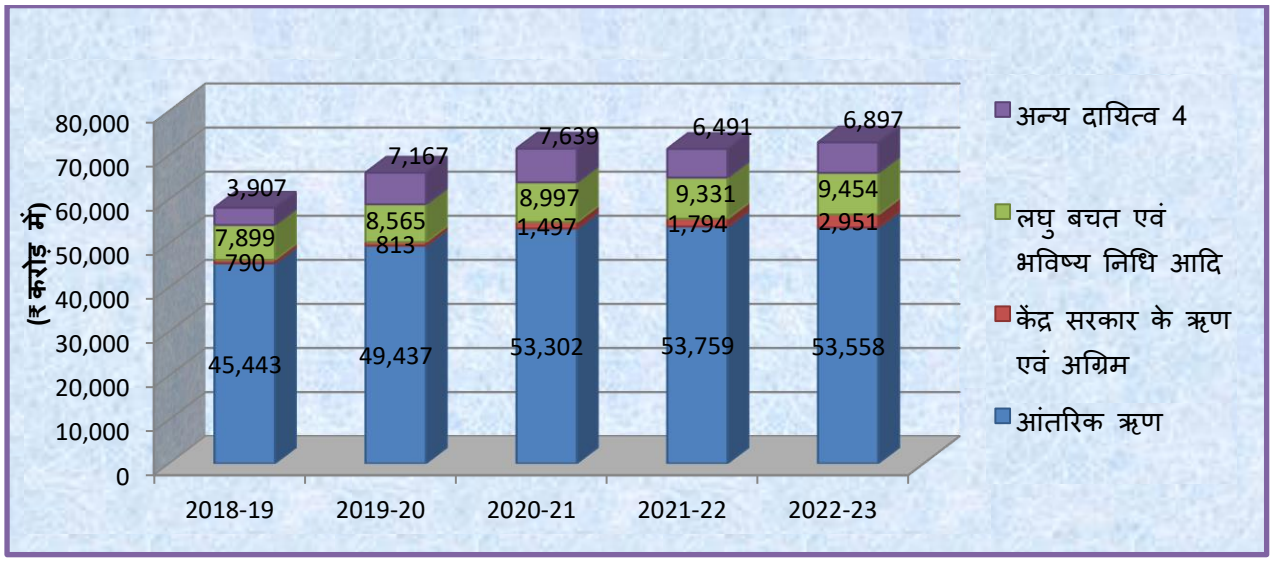

[2] *उचन्त और प्रेषण शेष सम्मिलित नहीं है |*

[3] *जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के बदले भारत सरकार से प्राप्त ₹ 5,649.03 करोड़ (2020-21 के लिए ₹ 2,316.00 करोड़ + 2021-22 के लिए ₹ 3,333.03 करोड़) के बैंक-टू-बैंक ऋण को जीएसडीपी के लिए बकाया ऋण के अनुपात की गणना के लिए बाहर रखा गया है। भारत सरकार के स्पष्टीकरण पत्र सं.F. No. 40 (1) PF-S/2021-22 दिनांक 10-12-2021 के अनुसार इस उधार को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।*

[4] *ब्याज और बिना ब्याज की देयताएं जैसे स्थानीय निधि में जमा, अन्य उद्दिष्ट निधियाँ इत्यादि |*

5.3प्रत्याभूतियाँ

सीधे ऋण जुटाने के अलावा, राज्य सरकार, विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बाजार और वित्तीय संस्थानों से सरकारी कंपनियों और निगम द्वारा उठाए गए ऋणों की गारंटी भी देती है। संवैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों तथा निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा लिए गये ऋण, पूँजी तथा उस पर ब्याज के भुगतान की अदायगी के राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ, उनके न चुका पाने की स्थिति में राज्य सरकार की समेकित निधि पर उत्तरदायित्व है तथा इन प्रत्याभूतियों को राज्य बजट से बाहर पेश किया गया है। जिस सीमा तक राज्य सरकार द्वारा जानकारी प्रस्तुत की गई थी, सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति पर वित्त लेखे के विवरण 9 और 20 को IGAS 1 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया है। राज्य सरकार ने बकाया प्रत्याभूतियों पर सीमित जानकारी प्रदान की है। गारंटी कमीशन द्वारा प्राप्य/ प्राप्त प्रत्याभूतियों की अधिकतम धनराशि जो वर्ष के दौरान जोड़ी/आवहानित/ख़ारिज/ख़ारिज नहीं की गई, से सम्बंधित अधूरी जानकारी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। विवरण में निहित जानकारी उस सीमा तक अधूरी है |

सांविधिक निगम, सरकारी कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा उठाए गए ऋणों (मूलधन और उस पर ब्याज) के पुनः भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अन्त में	प्रत्याभूति की अधिकतम राशि (केवल मूलधन)	वर्ष के अंत तक बकाया धनराशि	
		मूलधन	ब्याज
2018-19	2,105[5]	1,311	सूचना उपलब्ध नहीं
2019-20	अनुपलब्ध[6]	582	सूचना उपलब्ध नहीं
2020-21	अनुपलब्ध[6]	729	सूचना उपलब्ध नहीं
2021-22	अनुपलब्ध[6]	374	सूचना उपलब्ध नहीं
2022-23	407[5]	117	सूचना उपलब्ध नहीं

[5]राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई आंशिक जानकारी के आधार पर गणना की गई|

[6]राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई |

अध्याय 6
अन्य मदें

6.1 आंतरिक ऋण के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

वर्ष के दौरान खातों में प्रदर्शित होने वाली ऋणात्मक शेषों की राशि नीचे दी गई है। इनके अंतर्गत ऋण शेष गलत वर्गीकरण के कारण थे और समीक्षासुधार के अधीन हैं।/

मुख्य शीर्ष	विवरण	ऋणात्मक शेष (₹करोड़ में)
6851	ग्राम एवं लघु उद्योग हेतु ऋण	(-) 0.18
7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	(-) 20.08

ये ऋण भूतकाल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गये थे और इनकी उगाही उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन होने के पश्चात उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गयी है चूँकि इन लेखाशीर्षों के अंतर्गत शेष | आवंटित नहीं किए गये है| अतः शेष ऋणात्मक प्रस्तुत हो रहे हैं ,

6.2 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम

राज्य सरकार के विभाग सरकारी सेवकों सहित विभिन्न लाभार्थियों को दिए गए ऋण और अग्रिमों का विस्तृत लेखा-जोखा रखते हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी की सीमा तक सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों पर वित्त लेखे के विवरण संख्या 7 और 18 को IGAS 3 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया है। राज्य सरकार के विभागों ने सदा के लिए स्वीकृत ऋणों के बकाया मूलधन का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है । परिणामस्वरूप, IGAS 3 की आवश्यकताओं को इन लेखों में पूरा नहीं किया गया है। सरकार को विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य निकायों की दस्तावेजों में उपलब्ध ऋण और अग्रिम आँकड़ों को वित्त लेखे के आँकड़ों के साथ मिलान करने की आवश्यकता है, जो नहीं किया गया है |

राज्य सरकार द्वारा 2022-23 के अंत में किए गए कुल बकाया ऋण और अग्रिम ₹2,454.61 करोड़ थे। इसमें से सरकारी निगमों/कंपनियों, गैर- सरकारी संस्थानों और स्थानीय निकायों को दिए गए ऋण और अग्रिम की राशि ₹1,896.93 करोड़ थी। बकाया ब्याज की वसूली से संबंधित सूचना राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थी। वर्ष 2022-23 के दौरान केवल ₹17.30 करोड़ ऋण और अग्रिम की अदायगी के लिए प्राप्त हुए, जिसमें से ₹0.76 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को ऋण की अदायगी से संबंधित हैं। बकाया ऋणों की वसूली के लिए प्रभावी कदमों से सरकार को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी।

वार्षिक शेष राशि राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी जाती है। वर्ष 2000-01 से 2022-23 तक, निम्नलिखित चार प्रमुख लेखा शीर्षों से संबंधित ₹3,951.75 करोड़ की राशि के लिए कुल 372 स्वीकृतियां प्रतीक्षित हैं। शेष का मिलान किया जा रहा है |

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	वांछित स्वीकृतियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	6401-फसल कृषि कर्म हेतु ऋण	10	475.50
2.	6425-सहकारिता हेतु ऋण	103	199.78
3.	6801- विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	238	3,178.35
4.	7055-सड़क परिवहन हेतु ऋण	21	98.12
योग		**372**	**3,951.75**

6.3 स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीयसहायता

भारत सरकार के लेखा मानक (IGAS) 2 के अनुसार सहायक अनुदान पर व्यय अनुदान दाता के दस्तावेजों में राजस्व व्यय के रूप में और अंत उपयोग की परवाह किये बिना प्राप्तकर्ता के दस्तावेजों में राजस्व प्राप्ति के रूप में दर्ज किया जाता है। उत्तराखण्ड सरकार ने राजस्व अनुभाग के अलावा पूँजीगत अनुभाग में भी राज्य सरकार की इकाइयों को सहायक अनुदान के रूप में धन का परिचालन और आवंटन जारी रखा। वर्ष 2021-22 के दौरान इस तरह के अनुदान दो पूँजीगत मुख्य लेखाशीर्षों के अंतर्गत दिए गए । इसने भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारत सरकार के लेखा मानक (IGAS) 2 का उल्लंघन किया जिसमें यह कहा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत मामलों को छोड़कर संपत्ति सृजन के उद्देश्य से सहायक अनुदान पर व्यय को सरकार के वित्तीय विवरणों में पूँजीगत लेखा शीर्षों से डेबिट नहीं किया जायेगा है। इसके अलावा, IGAS-2 की आवश्यकताओं में से एक सहायक अनुदान का प्रवृतिवार चित्रण है, जिसके बारे में राज्य सरकार द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है

स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों आदि को दी जाने वाली अनुदान सहायता 2018-19 में ₹4,465.78 करोड़ से ₹3,165.53 करोड़ रुपये बढ़कर 2022-23 में ₹7,631.31 करोड़ हो गई। जिला परिषदों और पंचायती राज संस्थानों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं को अनुदान (₹2,040.67 करोड़) वर्ष के दौरान दिए गए कुल अनुदान (पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान को छोड़कर) का 26.74 प्रतिशत है।

पिछले पांच वर्षों के लिए सहायता अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संस्था का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	जिला परिषद् एवं पंचायती राज संस्थाएँ	742.26	902.04	955.29	655.97	996.62
2.	नगर निगम और नगर पालिकाएँ	717.07	814.62	976.91	734.27	1,044.05
3.	विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थान	26.00	27.27	320.36	315.23	328.22
4.	विकास एजेंसियाँ	300.91	216.11	258.25	133.12	330.04
5.	अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थान	756.17	405.22	346.06	418.76	505.60
6.	अन्य संस्थान	1,923.37	2,434.92	3,583.89	3,601.09	4,426.78
	कुल	**4,465.78**	**4,800.18**	**6,440.76**	**5,858.45**	**7,631.31**

प्रदत्त सहायक अनुदान

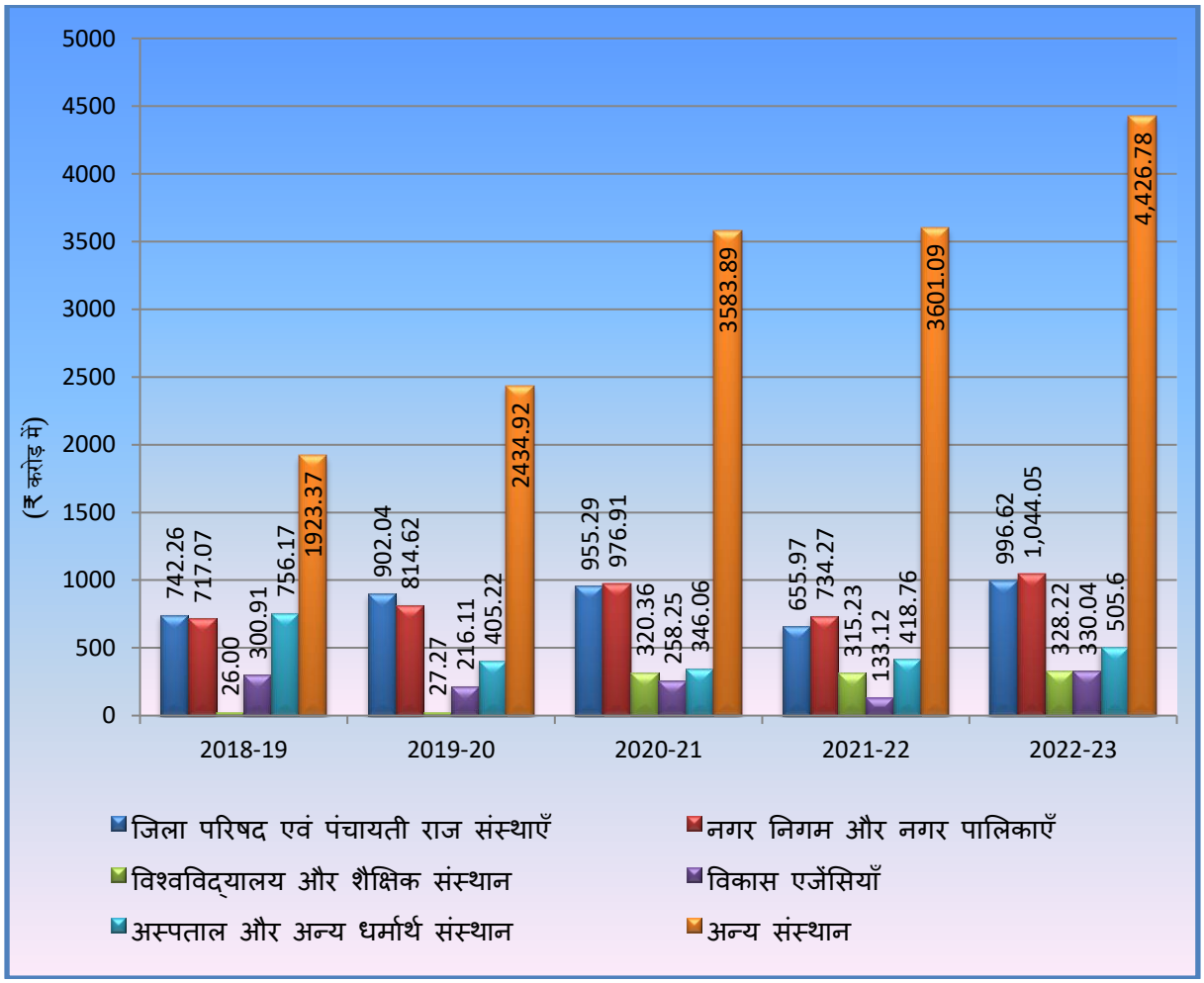

विगत पांच वर्षों मेंपरिसम्पतियों के सृजन के लिए सहायक अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संस्थानों का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	जिला परिषद् एवं पंचायती राज संस्थाएँ	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त
2.	नगर निगम और नगरपालिकाएँ	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त
3.	विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थान	5.50	12.64	13.06	2.14	11.80
4.	विकास एजेंसियाँ	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त
5.	अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थान	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त
6.	अन्य संस्थान	610.21	541.34	506.41	703.96	438.67
	योग	**615.71**	**553.98**	**519.47**	**706.10**	**450.47**

6.4 रोकड़ शेष और रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1अप्रैल2022को स्थिति	31मार्च2023 को स्थिति	शुद्ध वृद्धि (+)/ कमी (-)
रोकड़ शेष	112.47	131.82	(-) 244.29
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के ट्रेजरी बिल)	2,037.62	653.37	(-) 1,384.25
उद्दिष्ट निधि के शेषों से निवेश	1,698.62	1,808.62	(+) 110.00
(अ)निक्षेप निधि	1,603.62	1,703.62	(+) 100.00
(ब)प्रत्याभूति विमोचन निधि	95.00	105.00	(+) 10.00
वर्ष के दौरान वसूला गया ब्याज	34.23	44.17	(+) 9.94

विभागीय अधिकारियों जैसे सार्वजनिक कार्य विभाग के अधिकारियों, वन विभाग के अधिकारियों, जिला कलेक्टरों के पास ₹10.71 करोड़ (जमा) नगद शेष था एवं विभागीय अधिकारी के पास आकस्मिक खर्च के लिए स्थायी अग्रिम ₹0.81 करोड़ (जमा) था | 31 मार्च 2023 के अन्त तक राज्य सरकार का अन्तिम रोकड़ शेष ऋणात्मक रहा | रोकड़ शेष के निवेश पर ब्याज में वृद्धि 29.04 *प्रतिशत* के साथ वर्ष 2021-22 के ₹34.23 करोड़ की तुलना में वर्ष 2022-23 में ₹44.17 करोड़ की ब्याज प्राप्ति हुई |

6.5लेखाओं का मिलान

व्यय पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए, इसे बजट अनुदान के भीतर रखने के लिए और अपने खातों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, सभी मुख्य नियंत्रण अधिकारी (सीसीओ) / नियंत्रण अधिकारी (सीओ) को हर महीने अपनी पुस्तकों में दर्ज प्राप्तियों और व्यय का मिलान करने की आवश्यकता होती है। लेखा

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के आँकड़ों के हिसाब से। वर्ष 2022-23 के दौरान, प्राप्तियों की राशि ₹58,266.57 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 99.53 प्रतिशत) और व्यय राशि ₹56,992.72 करोड़ (कुल व्यय का 94.15 प्रतिशत) का राज्य सरकार द्वारा मिलान किया गया |

6.6 लेखा प्रेषित करने वाली इकाइयों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

वित्त लेखे 2022-23 उत्तराखण्ड सरकार के 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लेन देनों को प्रस्तुत करता है। 20 कोषागार, 106 लोक निर्माण प्रभाग (85 भवन एवं सड़क तथा 21 ग्रामीण निर्माण प्रभाग), 57 वन प्रभाग (46 वन प्रभाग एवं 11 जलागम), 85 सिंचाई और अन्य प्रभागों से प्राप्त प्रारंभिक लेखों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के आधार पर उत्तराखण्ड सरकार के प्राप्तियों और व्यय के लेखे संकलित किये गये हैं ।राज्य सरकार की लेखा प्रतिपादन इकाइयों द्वारा मासिक लेखों का प्रेषण संतोषजनक था वर्ष वित्तीय और के अंत में कोई भी लेखा असमायोजित नहीं रखा गया ।

6.7 असमायोजित सार आकस्मिक बिल

वित्तीय नियम (केंद्रीय कोषागार नियमों का नियम 290) परिकल्पित करते हैं कि सरकारी कोषागार से तब तक कोई धनराशि नहीं निकाली जानी चाहिए जब तक यह तत्काल संवितरण हेतु आवश्यक ना हो आकस्मिक परिस्थितियों में आहरण और वितरण अधिकारी| सार आकस्मिकता बिल के माध्यम से धनराशि निकालने हेतु अधिकृत हैं | उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-5 भाग-1, 2008 के अनुसार आहरण और वितरण अधिकारियों को अंतिम व्यय के सम्बन्ध में उद्देश्य पूर्ति के एक माह के भीतर विस्तृत प्रति हस्ताक्षरित आकस्मिक बिल देयकों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है|

वर्ष 2022-23 के दौरान निकाले गए ₹ 8.98 करोड़ की राशि के 271 एसी बिलों में से, मार्च 2023 में ₹ 0.24 करोड़ (2.67 प्रतिशत) की राशि के 05 एसी बिल निकाले गए। कुल 74 एसी बिलों की राशि के संबंध में डीसीसी बिल 31 मार्च 2023 तक ₹11.36 करोड़ प्राप्त नहीं हुए।

31 मार्च 2023 तक डीसीसी बिल जमा करने के लिए लंबित असमायोजित एसी बिलों का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	असमायोजित आकस्मिक बिलों की संख्या	धनराशि
2021-22 तक	37	10.60
2022-23	37	0.77
योग	**74**	**11.37**

31 मार्च 2022 (पिछले वर्ष) के अंत में, कुल 243 एसी बिलों के संबंध में ₹ 27.33 करोड़ के डीसीसी बिल प्राप्त नहीं हुए थे।

6.8 उचन्त एवं प्रेषण शेषों की स्थिति

वित्त लेखे उचन्त और प्रेषण शीर्षों के तहत शुद्ध शेष राशि को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशि का विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अलग से बकाया डेबिट और क्रेडिट शेषों को मिलाकर तैयार किया गया है| पिछले चार वर्षों के लिए मुख्य शीर्ष 8658-उचन्त लेखा और 8782-प्रेषण के तहत सकल डेबिट और क्रेडिट शेष के रूप में दिखाए गए महत्वपूर्ण उचन्त मदों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
8658-उचन्त लेखा								
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचन्त	54.71	3.61	115.24	23.40	189.51	89.35	331.63	186.12
शुद्ध	**(नामे)51.10**		**(नामे)91.84**		**(नामे) 100.16**		**(नामे) 145.51**	
102-**उचन्त लेखा (सिविल)**	566.35	411.83	574.13	379.40	289.18	386.82	295.03	392.38
शुद्ध	**(नामे) 154.52**		**(नामे) 194.73**		**(जमा) 97.64**		**(जमा) 97.35**	
107- रोकड़ समाशोधन उचन्त लेखा	966.77	885.52	81.39	0.26	99.71	0.26	1233.79	1133.42
शुद्ध	**(नामे) 81.25**		**(नामे) 81.13**		**(नामे) 99.45**		**(नामे) 100.37**	
110-रिज़र्व बैंक उचन्त केन्द्रीय लेखा कार्यालय	214.67	219.61	214.67	219.61	221.31	219.61	224.32	219.61
शुद्ध	**(जमा)4.94**		**(जमा)4.94**		**(नामे)1.70**		**(नामे)4.71**	
112-स्रोत पर कर कटौती उचन्त	28.03	266.57	28.03	241.27	28.03	267.44	28.03	330.23
शुद्ध	**(जमा) 238.54**		**(जमा) 213.24**		**(जमा) 239.41**		**(जमा) 302.20**	
113-भविष्य निधिउचन्त	24.75	24.64	24.75	24.64	24.75	24.64	24.75	24.64
शुद्ध	**(नामे)0.11**		**(नामे)0.11**		**(नामे) 0.11**		**(नामे) 0.11**	
117-रिज़र्व बैंक की ओर से लेन-देन	18.12	17.94	18.12	20.33	18.12	20.33	18.12	20.33
शुद्ध	**(नामे)0.18**		**जमा) 2.21**		**(जमा) 2.21**		**(जमा) 2.21**	
123-अ0 भा0 से0 के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	0.29	0.53	0.32	0.57	0.34	0.61	0.36	0.64
शुद्ध	**(जमा) 0.24**		**(जमा) 0.25**		**(जमा) 0.27**		**(जमा) 0.28**	
129-सामग्री क्रय समाशोधन उचन्त लेखा	0.03	-0.73	0.03	(-) 0.73	0.03	(-) 0.73	0.03	(-) 0.73
शुद्ध	**(नामे)0.76**		**(नामे)0.76**		**(नामे) 0.76**		**(नामे) 0.76**	
8782- उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन								
102-लोक निर्माण प्रेषण	296.13	372.74	296.13	372.74	296.13	372.70	296.45	372.70
शुद्ध	**(जमा)76.61**		**(जमा)76.61**		**(जमा)76.57**		**(जमा)76.25**	
103- वन प्रेषण	107.23	166.95	107.23	166.95	107.23	166.95	107.23	166.95
शुद्ध	**(जमा)59.72**		**(जमा)59.72**		**(जमा)59.72**		**(जमा)59.72**	
8793-अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा	2,087.89	2,013.35	2,095.05	2,014.10	2,083.81	2,015.19	2,067.53	2,016.45
शुद्ध	**(नामे)74.54**		**(नामे)80.95**		**(नामे)68.62**		**(नामे)51.08**	

6.9 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति

जहां विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुदान मंजूर किए जाते हैं, संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्धारित अवधि के भीतर महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। निर्दिष्ट अवधि के बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र का बकाया रहना अपेक्षित उद्देश्यों के लिए अनुदान के उपयोग पर आश्वासन के अभाव को दर्शाता है। महालेखाकार (ले० एवं हक०) के दस्तावेजों के अनुसार 31 मार्च 2023 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विवरण निम्न है :-

वर्ष	वांछित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	धनराशि *(₹करोड़ में)*
2021-22 तक	01	20.29
2022-23	267	844.03
कुल	**268**	**864.32**

31 मार्च 2022 (पिछले वर्ष) तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या 321 ₹ 1,390.08 करोड़ थी ।

6.10 अपूर्ण पूँजीगत कार्यों के कारण प्रतिबद्धताएँ

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 तक 143 अधूरी परियोजनाओं पर कुल ₹564.45 करोड़ का व्यय किया गया, जबकि मूल अनुमान लागत ₹784.22 करोड़ थी, जैसा कि वित्त लेखों के खंड II में परिशिष्ट IX में वर्णित है।

अपूर्ण पूँजीगत कार्यों' के कारण प्रतिबद्धताओं पर एक सारांशित दृश्य नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यों की श्रेणी (कार्यों की संख्या)	कार्य की अनुमानित लागत	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अन्त तक प्रगामी व्यय	बकाया भुगतान	संशोधन के बाद अनुमानित लागत
1.	सड़क निर्माण कार्य (129)	680.74	163.81	487.06	193.53	अनुपलब्ध
4.	सेतु निर्माण (14)	103.48	11.63	77.39	27.67	अनुपलब्ध
	योग	784.22	175.44	564.45	221.20	अनुपलब्ध

6.11 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

1 अक्टूबर 2005 को या उसके बाद भर्ती किये गये राज्य कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत आते हैं, जो कि एक 'मूर्त अंशदान योजना' है। इस योजना के अनुसार, कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महँगाई भत्ते का 10 *प्रतिशत* अंशदान करते हैं और राज्य सरकार मूल वेतन एवं महँगाई भत्ते का 14

प्रतिशत अंशदान करती है और सम्पूर्ण धनराशि नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एन0एस0डी0एल0)/न्यासी बैंक के माध्यम से नामांकित निधि प्रबन्धक को हस्तान्तरित कर दी जाती है|

वर्ष 2022-23 के दौरान एन.पी.एस., जो कि एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है, में कुल योगदान ₹1,411.77 करोड़ (कर्मचारी अंशदान ₹589.63 करोड़ और सरकारी अंशदान ₹822.14 करोड़) था | सरकारी अंशदान पर विस्तृत सूचना वित्त लेखों के विवरण सं. 15 में उपलब्ध है | सरकार ने मुख्य शीर्ष 8342-117 सरकारी कर्मचारियों हेतु परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत ₹1,431.77 करोड़(ब्याज सहित ₹20.00 करोड़)लोक लेखा में हस्तांतरित किये | एन.पी.एस. में सरकार का अंशदान ₹3.34 करोड़ अधिक था जिससे उस सीमा तक राजस्व आधिक्य की न्युनोक्ति और राजकोषीय घाटे की अत्युक्ति हुई |

वर्ष 2022-23 के दौरान कुल ₹1,447.98 करोड़ की राशि एनएसडीएल को हस्तांतरित की गई| शेष ₹ 67.00 करोड़ की राशि एनएसडीएल को हस्तांतरित की जानी बाकी है। अर्जित ब्याज के साथ असंग्रहीत, बेजोड़ और अहस्तांतरित राशि, योजना के तहत सरकार की बकाया देनदारियों का प्रतिनिधित्व करती है।

6.12 व्यक्तिगत जमा खाते

व्यक्तिगत जमा खाते नामित आहरण अधिकारियों को किसी योजना से संबंधित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए व्यय करने में सक्षम बनाते हैं; राज्य की संचित निधि में सेवा शीर्षों को नामे करके और प्रमुख शीर्ष 8443-नागरिक जमा और लघु शीर्ष 106-व्यक्तिगत जमा के तहत व्यक्तिगत जमा जमा करके। पी.डी खातों के प्रशासकों को वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर ऐसे खातों को बंद करने और अव्ययित शेष राशि को समेकित निधि में वापस स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है।

2022-23 के दौरान इन पी.डी. खातों में राज्य की संचित निधि से ₹5.85 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई। इसमें राज्य की संचित निधि से मार्च 2023 में हस्तांतरित ₹4.31 करोड़ शामिल हैं। यह वर्ष के दौरान पी.डी खाते में कुल क्रेडिट का 73.68 प्रतिशत है।

व्यक्तिगत जमा खातों के किसी भी प्रशासक (25 में से) ने कोषागार के आंकड़ों के साथ अपने शेष का मिलान और सत्यापन नहीं किया था और उनके द्वारा महालेखाकार कार्यालय को आगे जमा करने के लिए कोषागार अधिकारी को कोई वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था।

31 मार्च 2023 को पी.डी खातों का विवरण नीचे दिया गया है: *(₹ करोड़ में)*

1 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक शेष		वर्ष 2021-22 के दौरान परिवर्धन		वर्ष 2021-22 के दौरान निकासी		31 मार्च 2022 को अंतिम शेष	
प्रशासकों की संख्या	धनराशि	प्रशासकों की संख्या	धनराशि	प्रशासकों की संख्या	धनराशि	प्रशासकों की संख्या	धनराशि
45	188.07	0	5.85	20	64.64	25	129.28

वित्तीय पुस्तिका खंड-5 भाग-I के परिशिष्ट 20 में कहा गया है कि प्रशासक उस योजना/परियोजनाओं का विस्तृत लेखा-जोखा रखेगा जिसके लिए इसे खोला गया है। इसके अलावा, यदि कोई पी.डी खाता 03 वर्षों की अवधि के लिए संचालित नहीं होता है और यह मानने का कारण है कि ऐसे जमा खातों की आवश्यकता समाप्त हो गई है, तो उसे बंद कर दिया जाएगा। वर्ष के अंत में, 06 पी.डी. खातों में ₹0.74करोड़ एक वर्ष से ज्यादा समय से तथा 13 पी.डी. खातों में ₹6.85 करोड़ तीन वर्ष से ज्यादा समय से अव्ययित रहे |

6.13 निवेश

राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के दौरान उनके द्वारा किए गए निवेशों की जानकारी उपलब्ध/पुष्टि नहीं की है। परिणाम स्वरूप, वित्त खातों के विवरण 8 और 19 में निहित जानकारी मुख्य रूप से सरकारी निवेशों पर सीमित जानकारी पर आधारित है जो वाउचर से ली गई है। महालेखाकार (ए एवं ई)। वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने सरकारी कंपनियों और वैधानिक निगमों में ₹224.96 करोड़ का निवेश किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में सरकार का कुल निवेश ₹4,043.90 करोड़ था। वित्त खातों में दिखाए गए निवेश के आंकड़े उन संस्थाओं के रिकॉर्ड के साथ मेल खाते हैं जहां राज्य सरकार द्वारा निवेश किया गया है मिलान के अधीन हैं ।

6.14 व्यय का प्रवाह

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल (UBM) के अध्याय XVII के अनुच्छेद 183 एवं विवेक पूर्ण वित्तीय प्रबन्धन के सिद्धांत विहित करते हैं कि वित्तीय वर्ष के समापन महीने में होने वाले व्यय से बचा जाना चाहिए। 2022 -23 के दौरान कुल व्यय की तुलना में अंतिम तिमाही और मार्च 2023 के दौरान किए गए व्यय की प्रवृत्ति निम्नानुसार है: (₹ करोड़ में)

जनवरी से मार्च 2023 के दौरान व्यय	मार्च 2023 में व्यय	कुल व्यय	निम्न के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
			जनवरी से मार्च 2023 तक	मार्च 2023
16,997.63	8,664.84	51,967.24*	32.71	16.67

*राजस्व व्यय ₹43,772.73 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय ₹8,194.51 करोड़ सम्मिलित है |

6.15आरक्षित निधियों की स्थिति

(क) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ:

(अ)राज्य आपदा विमोचन निधि (SDRF):

राज्य आपदा प्रबंधन निधि के संघटन और प्रशासन पर दिशानिर्देशों के संदर्भ में (मुख्य शीर्ष- '8121 सामान्य और अन्य आरक्षित निधि' जो ब्याज वाले अनुभाग के अंतर्गत है), केंद्र और राज्य सरकारों को 90:10 के अनुपात में निधि में योगदान करना आवश्यक है| वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार को केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में ₹ 787.20 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का हिस्सा ₹87.20 करोड़ है। राज्य सरकार ने प्रमुख शीर्ष 8121-122 एसडीआरएफ के तहत फंड में ₹874.40 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा ₹ 787.20 करोड़, राज्य का हिस्सा ₹ 87.20 करोड़) हस्तांतरित किया। एनडीआरएफ के मद में केन्द्र सरकार से राज्य को कोई राशि नहीं मिली।

(ब)राज्य आपदा शमन निधि (SDMF):

राज्य आपदा शमन कोष (एसडीएमएफ) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (सी) के तहत किया जाना है। यह कोष विशेष रूप से राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत आने वाली आपदा के संबंध में शमन परियोजना के उद्देश्य से है।)/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) दिशानिर्देश और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदा। राज्य सरकार ने प्रमुख शीर्ष 8121-130- राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत अधिसूचना संख्या 710/XVIII (2)/08-3(15)/2007 दिनांक: 05.05.2008 के तहत एसडीएमएफ बनाया है। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को केंद्र सरकार से ₹98.40 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का हिस्सा ₹21.80 करोड़ है। राज्य सरकार ने फंड में ₹120.20 करोड़ ट्रांसफर किए।

(स)राज्य प्रतिकात्मक वन रोपण निधि :

भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकारों को उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त राशि के लिए राज्य के सार्वजनिक खाते में ब्याज वाले अनुभाग के तहत राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि की स्थापना करना आवश्यक है। प्रतिपूरक वनीकरण का कार्य करना।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष '8121- के तहत राज्य प्रति पूरक वनरोपण निधि में ₹ 256.68 करोड़ (ब्याज के ₹ 150.00 करोड़ + उपयोगकर्ता शुल्क के ₹ 106.68 करोड़) (पिछले वर्ष में ₹

198.52 करोड़) की राशि दर्ज की। सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि'. सरकार को राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण जमा से ₹119.00 करोड़ (पिछले वर्ष में प्राप्त कोई राशि नहीं) भी प्राप्त हुए। 31 मार्च 2023 तक राज्य प्रति पूरक वनरोपण निधि में कुल शेष ₹ 3,019.57 करोड़ था।

राज्य सरकार ने 20 नवंबर 2018 को भारत सरकार द्वारा जारी लेखांकन दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के नियम 2 (6) के अनुसार, उपयोगकर्ता एजेंसियों से राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त धन को 'राज्य प्रतिपूरक' में जमा किया जाना चाहिए। मुख्य शीर्ष 8336 नागरिक जमा के नीचे लघु शीर्ष स्तर पर राज्य के सार्वजनिक खाते में ब्याज वाले अनुभाग के तहत वनीकरण जमा। फंड का 90 प्रतिशत हिस्सा राज्य के सार्वजनिक खाते में मुख्य शीर्ष 8121 सामान्य और अन्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और शेष 10 प्रतिशत वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय कोष में जमा किया जाना चाहिए, बशर्ते कि 10 प्रतिशत केंद्र का क्रेडिट हो। धनराशि का हिस्सा मासिक आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि इसे राष्ट्रीय निधि में स्थानांतरित किया जा सके। उत्तराखंड राज्य सरकार ने अभी तक प्रमुख शीर्ष 8336 नागरिक जमा के तहत 'राज्य प्रति पूरक वनरोपण जमा' नहीं खोला है और उपयोगकर्ता एजेंसियों से पैसा सीधे मुख्य शीर्ष 8121 सामान्य और अन्य आरक्षित निधि में प्राप्त होता है।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2023 को सार्वजनिक खाते में मुख्य शीर्ष -8121-129-राज्य प्रति पूरक वनीकरण निधि के तहत पूरी राशि यानी ₹ 375.68 करोड़ सीधे फंड में स्थानांतरित कर दी।

(ख) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ:

(अ) समेकित ऋण शोधन निधि:

उत्तराखंड सरकार ने 2006-07 में ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित ऋण शोधन निधि की स्थापना की। फंड के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य पिछले वर्ष के अंत में अपनी बकाया देनदारियों (आंतरिक ऋण + सार्वजनिक खाता) का न्यूनतम 0.5 प्रतिशत समेकित सिंकिंग फंड में योगदान कर सकते हैं। वर्ष 2022-23 में, सरकार ने केवल ₹ 100.00 करोड़ का योगदान दिया, जबकि ₹ 385.12 करोड़ को फंड में योगदान करने की आवश्यकता थी। 31 मार्च 2023 को फंड का कुल संचय ₹ 4,304.72 करोड़ था (31 मार्च 2022 तक ₹ 3,888.55 करोड़)। ₹ 285.12 करोड़ के कम योगदान के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय कम बताया गया है।

(ब) प्रत्याभूति मोचन निधि :

राज्य सरकार ने प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना की जिसका प्रबंधन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है । राज्य सरकार द्वारा जारी फंड अधिसूचना में नवीनतम संशोधन, जो वर्ष 2016 से प्रभावी है, यह निर्धारित करता है कि राज्य सरकार शुरू में ₹10.00 करोड़ की राशि का योगदान करेगी और इसके बाद

न्यूनतम 1/5 बकाया लागू गारंटी और गारंटी की राशि का योगदान करेगी। वर्ष के दौरान जारी की गई वृद्धिशील गारंटियों के परिणामस्वरूप लागू होने की संभावना है। अगले 5 वर्षों में बकाया गारंटियों के संभावित आह्वान के परिणामस्वरूप सरकार को मिलने वाली प्रत्याशित गारंटियों की राशि को पूरा करने के लिए फंड को धीरे-धीरे वांछनीय स्तर तक बढ़ाया जाएगा। वर्ष के दौरान सरकार ने ₹ 74.87 करोड़ के मुकाबले केवल ₹10.00 करोड़ का योगदान दिया, जबकि उसे निधि में योगदान करने की आवश्यकता थी। 31 मार्च 2023 को फंड का कुल संचय ₹176.75 करोड़ (31 मार्च 2022 को ₹153.92 करोड़) था। ₹ 64.87 करोड़ के कम योगदान के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय कम बताया गया है।

(स)केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सी आर आई एफ): भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 31-03-2018 के माध्यम से पूर्ववर्ती केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) का नाम बदलकर केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) कर दिया गया है। सीआरआईएफ का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे परियोजनाओं के विकास और रखरखाव, रेलवे, राज्य और ग्रामीण सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे में सुरक्षा में सुधार आदि के लिए किया जाएगा।

मौजूदा लेखांकन प्रक्रिया के संदर्भ में, केंद्र से राज्य द्वारा प्राप्त अनुदान को शुरू में मुख्य शीर्ष 1601 के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाना है। इसके बाद, प्राप्त राशि को राज्य सरकार द्वारा प्रमुख के तहत सार्वजनिक खाते में स्थानांतरित किया जाना है। शीर्ष 8449-103 कार्यात्मक प्रमुख शीर्षों के माध्यम से केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से अनुदान।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार को सीआरआईएफ के लिए ₹378.17 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2023 तक सार्वजनिक खाते में निधि में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की। ₹ 378.17 करोड़ के गैर-हस्तांतरण ने राजस्व व्यय को उस सीमा तक कम कर दिया है।

6.16 प्रमुख उपकर

वर्ष 2022-23 के दौरान, सरकार ने उपकर/शुल्क/अधिभार (श्रम उपकर के अलावा) के संग्रह के रूप में ₹ 70.56 करोड़ (2021-22: ₹ 72.00) एकत्र किए। ₹72.00 करोड़ का कुल संग्रह एमएच 0801-पावर-01 हाइडलजेनरेशन -800 अन्य प्राप्तियों के तहत सरकार के राजस्व के रूप में दर्ज किया गया है। उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम 2014 की धारा 6 और 7 (1) के अनुसार, राज्य सरकार को 'हरित ऊर्जा कोष' नामक एक निधि स्थापित करने की आवश्यकता है और उपकर की आय को राज्य की समेकित निधि से इस निधि में स्थानांतरित किया जाना है। राज्य। 31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई फंड स्थापित नहीं किया गया है।

© भारत के नियंत्रक
एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ae/uttarakhand/hi